रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33001/98 REGISTERED NO. D. L.—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1999/पौष 12, 1920
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1999/PAUSA 12, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियां (संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1998

सा०का०नि० 1 —केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1-ए) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1998 है ।

(2) ये नियम अगस्त, 1997 की पहली तारीख से लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में—

(क) शीर्षक "ख" में "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं" में "विशेष वेतन" के स्थान पर "विशेष भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं, के शीर्षक में :—

(i) "विशेष वेतन" शब्द जहां कहीं आए, के स्थान पर "विशेष भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3" राज्य सरकार द्वारा धारा (2) के अन्तर्गत विशेष भत्ते के रूप में मंजूर की जाने वाली कोई राशि 400 रुपए,

600 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए अथवा एक हजार रुपए होगी जिसका निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को विशेष वेतन दिए जाने से सम्बन्धित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त, 1997 से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय को कार्यान्वित करने के मद्देनजर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का तदनुसार एक अगस्त, 1977 से संशोधन किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या 14021/4/98-अ०भा०से०-(II)-क]

वाई० पी० ढींगरा, डैस्क अधिकारी

टिप्पणी :—मुख्य नियम दिनांक 14 सितम्बर, 1954 के राजपत्र सं० 158 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

क्र.सं०	जी०एस०आर० सं०	दिनांक
1.	22	12-1-74
2.	51ई	26-2-74
3.	52ई	28-2-74
4.	272	16-3-74
5.	186ई	25-4-74
6.	664	29-6-74
7.	725	13-7-74
8.	778	27-7-74
9.	374ई	26-8-74
10.	376ई	26-8-74
11.	378ई	26-8-74
12.	976	14-9-74
13.	979	14-9-84
14.	1013	21-9-74
15.	1066	5-10-74
16.	427ई	16-10-74
17.	430ई	17-10-74
18.	1202	16-11-74
19.	467ई	15-11-74
20.	468ई	15-11-74
21.	469ई	15-11-74
22.	1260	30-11-74
23.	1300	7-12-74
24.	1348	21-12-74
25.	92	25-1-75
26.	176	8-2-75
27.	48	18-1-75
28.	309	8-3-75
29.	185ई	2-4-75
30.	281ई	16-5-75
31.	278ई	13-5-75
32.	294ई	23-5-75
33.	296ई	26-5-75
34.	305ई	28-5-75
35.	752	21-6-75
36.	345ई	25-6-75
37.	433ई	30-7-75
38.	458ई	22-8-75
39.	472ई	29-8-75
40.	2661	15-11-75
41.	2557	25-10-75
42.	1	3-1-76
43.	8ई	1-1-76
44.	74	17-1-76
45.	26ई	17-1-76
46.	61ई	31-1-76
47.	197	14-2-76
~~48.~~	~~73ई~~	10-2-76
49.	234ई	17-3-76
50.	236ई	17-3-76
51.	207ई	6-4-76
52.	603	1-5-76
53.	330ई	11-5-76
54.	900	26-6-76
55.	417ई	22-6-76
56.	425ई	25-6-76
57.	911	18-7-76
58.	405ई	16-6-76
59.	486ई	23-7-76
60.	1157	7-8-76
61.	786ई	31-8-76
62.	789ई	7-9-76
63.	1368	25-9-76
64.	822ई	31-8-76
65.	849ई	15-10-76
66.	859ई	1-11-76
67.	947ई	24-12-76
68.	954ई	27-12-76
69.	125	29-1-77
70.	45	28-1-77
71.	52ई	1-2-77
72.	473	2-4-77

क्र० सं०	जी०एस०आर० सं०	दिनांक
73.	863	9-7-77
74.	531ई	19-7-77
75.	546ई	19-7-77
76.	549ई	3-8-77
77.	589ई	23-6-77
78.	1285	1-10-77
79.	655ई	28-10-77
80.	45	4-1-78
81.	52	4-1-78
82.	215	11-2-78
83.	952	29-7-78
84	586	6-5-78
85.	666	27-5-78
86.	923	22-7-78
87.	1127	16-9-78
88.	1236	14-10-78
89.	1281	28-10-78
90.	1278	20-10-78
91.	1326	11-11-78
92.	575ई	8-12-78
93.	159	3-2-79
94.	472	31-3-79
95.	628	28-4-79
96.	291ई	10-5-79
97.	290ई	10-5-79
98.	771	9-6-79
99.	812	16-6-79
100.	1038	11-8-79
101.	1016	4-8-79
102.	591ई	24-10-79
103.	1372	17-11-79
104.	650ई	27-11-79
105.	629ई	17-11-79
106.	597ई	30-10-79
107.	77	26-1-80
108.	24ई	30-1-80
109.	159	9-2-80
110.	220ई	21-4-80
111.	222ई	21-4-80
112.	288ई	5-6-80
113.	290ई	5-6-80
114.	447ई	24-7-80
115.	770	26-7-80
116.	952	20-9-80
117.	530ई	8-9-80
118.	523ई	8-9-80
119.	572ई	7-10-80
120.	120	8-11-80
121.	701ई	17-12-80
122.	703ई	17-12-80
123.	47ई	5-2-81
124.	230	28-2-81
125.	295	21-3-81
126.	293ई	15-4-81
127.	295ई	15-4-81
128.	529	6-6-81
129.	489	23-6-81
130.	615	4-2-81
131.	640	11-7-81
132.	890	5-9-81
133.	926	19-10-81
134.	945	24-10-81
135.	422	8-5-82
136.	420	8-5-82
137.	510	5-6-82
138.	610	17-7-82
139.	617	24-7-82
140.	619	24-7-82
141.	777	18-9-82
142.	619ई	20-10-82
143.	631ई	29-10-92
144.	933	20-11-82
145.	958	4-12-82
146.	764ई	18-12-82
147.	18ई	10-1-83
148.	204	12-3-83
149.	333	15-4-83
150.	447ई	24-5-83
151.	508	16-7-83
152.	932	10-12-83
153.	899ई	20-12-83
154.	901ई	20-12-83
155.	918ई	24-12-83
156.	35	21-1-84
157.	400	21-4-84
158.	470	19 5 84
159.	1056	13-10-84
160.	1240	15-12-84
161.	49	19-1-85
162.	107	2-2-85
163.	250	9-3-85
164.	639	6-7-85
165.	637	6-7-85
166.	569ई	15-7-85

क्र० सं०	जी०एस०आर० सं०	दिनांक
167.	708ई	3-8-85
168.	792	24-8-85
169.	919	5-10-85
170.	1141	14-12-85
171.	884ई	4-12-85
172.	38	18-1-86
173.	98	8-2-86
174.	218	22-3-86
175.	226	29-3-86
176.	378	31-5-86
177.	766	20-9-86
178.	885	18-10-86
179.	1068	13-12-86
180.	22	10-1-87
181.	90	14-10-87
182.	284ई	13-4-87
183.	471	20-6-87
184.	615	15-8-87
185.	796ई	18-9-87
186	767	17-10-87
187.	842	15-11-87
188.	902	5-12-87
189	960	26-12-87
190.	962	26-12-87
191.	685ई	14-12-87
192.	52	23-1-88
193.	295	16-4-88
194.	297	16-4-88
195.	654ई	26-5-88
196	761ई	30-6-88
197.	659	20-8-88
198.	831ई	2-8-88
199.	745	24-9-88
200.	1223ई	28-12-88
201.	1004	31-12-88
202.	1108	31-12-88
203.	80ई	3-2-88
204.	356ई	1-3-89
205.	341ई	28-3-89
206.	311	6-5-89
207.	418	17-6-89
208	420	17-6-89
209.	492	22-7-89
210.	804	4-11-89
211	869	25-11-89
212.	870	25-11-89
213.	1044ई	6-12-89
214.	263	5-5-90
215.	394	30-6-90
216.	480	4-8-90
217.	508	18-8-90
218.	507	18-8-90
219.	648	20-10-90
220.	726	8-12-90
221.	493	7-9-91
222.	621	26-10-91
223.	68	22-2-92
224.	106	7-3-92
225.	107	7-3-92
226.	194	9-5-92
227.	199	9-5-92
228.	224	16-5-92
229	226	16-5-92
230.	239	23-5-92
231.	405	12-9-92
232.	407	12-9-92
233.	413	19-9-92
234.	449	10-10-92
235.	480	31-10-92
236.	588	26-12-92
237.	527	28-11-92
238.	20	9-1-93
239.	21	9-1-93
240.	84	13-2-93
241.	126	6-3-93
242.	238	15-5-93
243.	259	29-5-93
244.	535ई	6-8-93
245.	447	11-9-93
246.	598ई	8-9-93
247.	657ई	15-10-93
248.	655ई	15-10-93
249.	29	15-1-94
250.	6	1-1-94
251.	95ई	12-2-94
252.	343ई	29-3-94
253.	436ई	9-5-94
254.	310	2-7-94
255.	334	23-7-94
256.	382	30-7-94
257.	443	3-9-94
258.	357	24-7-95
259.	434	30-9-95
260.	478	18-11-95

क्र० सं०	जी०एस०आर० सं०	दिनांक
261.	569	30-12-95
262.	68ई	25-1-96
263	232	8-6-96
264.	235	8-6-96
265.	311	27-7-96
266.	445ई	27-9-96
267.	555	14-12-96
268.	277	5-7-97
269.	285	12-7-97
270.	287	12-7-97
271.	305	9-8-97
272.	596ई	17-10-97
273.	59	14-3-98
274	76	4-4-98
275.	193ई	20-4-98
276.	231ई	30-4-98
277.	109	13-6-98
278.	168	29-8-98

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 21st December, 1998

G.S.R. 1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1988.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1997.

2. In Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 :—

(a) in the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale", for the words "special pays", the words "special allowance" shall be substituted;

(b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale" :—

(i) for the words "special pay", wherever they occur, words "special allowance" shall be substituted ;

(ii) for clause (3), the following clause shall be substituted, namely :—

"(3) The amount of any special allowance which may be sanctioned by the State Governments under clause (2), shall be Rs. 400, Rs. 600, Rs. 800. Rs. 900 or Rs. 1,000, as may, from time to time, be determined by the State Government concerned."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission relating to the grant of special pay to the members of the All India Services with effect from the 1st August, 1997. With a view to implement this decision, the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 are being amended accordingly with effect from the 1st August, 1997.

It is certified that no member of the Indian Administrative Service is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these amendments.

[No. 14021/4/98-AIS (II)-I]
Y. P. DHINGRA, Desk Officer

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 158 dated the 14th September, 1954 and were subsequently amended vide :—

S. No.	G.S.R. No.	Date
1.	22	12-1-1974
2	51 (E)	26-2-1974
3.	52(E)	28-2-1974
4.	272	16-3-1974
5.	186(E)	25-4-1974
6.	664	29-6-1974
7.	725	13-7-1974
8.	778	27-7-1974
9.	374(E)	26-8-1974
10.	376(E)	26-8-1974
11	378(E)	26-8-1974
12.	976	14-9-1974
13.	979	14-9-1974
14.	1013	21-9-1974
15.	1066	5-10-1974
16.	427(E)	16-10-1974
17.	430(E)	17-10-1974
18.	1202	16-11-1974
19.	467(E)	15-11-1974
20	468(E)	15-11-1974
21.	469(E)	15-11-1974
22	1260	30-11-1974
23.	1300	7-12-1974
24.	1348	21-12-1974
25.	92	25-1-1975
26.	176	8-2-1975
27	48	18-1-1975

S. No.	G.S.R. No.	Date
28.	309	8-3-1975
29.	185(E)	2-4-1975
30.	281(E)	16-5-1975
31.	278(E)	13-5-1975
32.	294(E)	23-5-1975
33.	296(E)	26-5-1975
34.	305(E)	28-5-1975
35.	752	21-6-1975
36.	345(E)	25-6-1975
37.	433(E)	30-7-1975
38.	458(E)	22-8-1975
39	472(E)	29-8-1975
40.	2557	25-10-1975
41	2661	15-11-1975
42.	1	3-1-1976
43.	8(E)	1-1-1976
44.	74	17-1-1976
45.	26(E)	17-1-1976
46.	61(E)	31-1-1976
47.	197	14-2-1976
48.	73(E)	10-2-1976
49.	234(E)	17-3-1976
50.	236(E)	17-3-1976
51.	207(E)	6-4-1976
52.	603	1-5-1976
53.	330(E)	11-5-1976
54.	900	26-6-1976
55.	417(E)	22-6-1976
56.	425(E)	25-6-1976
57.	911	10-7-1976
58.	405(E)	16-6-1976
59.	486(E)	23-7-1976
60.	1157	7-8-1976
61.	786(E)	31-8-1976
62.	779(E)	7-9-1976
63.	1368	25-9-1976
64.	822(E)	31-8-1976
65.	849(E)	15-10-1976
66.	859(E)	1-11-1976
67.	947(E)	24-12-1976
68.	954(E)	27-12-1976
69.	125	29-1-1977
70.	45	28-1-1977
71.	52(E)	1-2-1977
72.	473	2-4-1977
73.	863	9-7-1977
74.	531(E)	19-7-1977
75.	545(E)	29-7-1977
76.	549(E)	3-8-1977
77.	589(E)	23-6-1977
78.	1285	1-10-1977
79.	655(E)	28-10-1977
80.	45	4-1-1978
81.	5(E)	4-1-1978
82.	215	11-2-1978
83.	952	29-7-1978
84.	586	6-5-1978
85.	666	27-5-1978
86.	923	22-7-1978
87.	1127	16-9-1978
88.	1236	14-10-1978
89.	1281	28-10-1978
90.	1278	28-10-1978
91.	1326	11-11-1978
92.	575(E)	8-12-1978
93.	159	3-2-1979
94.	472	31-3-1979
95.	628	28-4-1979
96.	291(E)	10-5-1979
97.	290(E)	10-5-1979
98.	771	9-6-1979
99.	812	16-6-1979
100.	1038	11-8-1979
101.	1016	4-8-1979
102.	591(E)	24-10-1979
103.	1372	17-11-1979
104.	650(E)	27-11-1979
105.	629(E)	17-11-1979
106.	597(E)	30-10-1979
107.	77	26-1-1980
108.	24(E)	30-1-1980
109.	159	9-2-1980
110.	220(E)	21-4-1980
111.	222(E)	21-4-1980
112.	288(E)	20-4-1980
113.	290(E)	5-6-1980
114.	447(E)	24-7-1980
115.	770	28-7-1980
116.	952	20-9-1980
117.	530(E)	8-9-1980
118.	523(E)	8-9-1980
119.	572(E)	7-10-1980
120.	120	8-11-1980
121.	701(E)	17-12-1980
122.	703(E)	17-12-1980
123.	47(E)	5-2-1981
124.	230	28-2-1981
125.	295	21-3-1981
126.	293(E)	15-4-1981
127.	295(E)	15-4-1981
128.	529	6-6-1981
129.	489	23-6-1981
130.	615	4-2-1981
131.	640	11-7-1981
132.	890	5-9-1981
133.	926	19-10-1981
134.	945	24-10-1981
135.	422	8-5-1982
136.	420	8-5-1982
137.	510	5-6-1982

S. No.	G.S.R. No.	Date
138.	610	17-7-1982
139.	617	24-7-1982
140.	619	24-7-1982
141.	777	18-9-1982
142.	619(E)	20-10-1982
143.	631(E)	29-10-1982
144.	933	20-11-1982
145.	958	4-12-1982
146.	764(E)	18-12-1982
147.	18(E)	10-1-1983
148.	204	12-3-1983
149.	333	25-4-1983
150.	447(E)	24-5-1983
151.	508	16-7-1983
152.	932	10-12-1983
153.	899(E)	20-12-1983
154.	901(E)	20-12-1983
155.	918(E)	24-12-1983
156.	35	21-1-1984
157.	400	21-4-1984
158.	470	19-5-1984
159.	1056	13-10-1984
160.	1240	15-12-1984
161.	49	19-1-1985
162.	107	2-2-1985
163.	250	8-3-1985
164.	639	6-7-1985
165.	637	6-7-1985
166.	569(E)	15-7-1985
167.	708(E)	3-8-1985
168.	792	24-8-1985
169.	919	5-10-1985
170.	1141	14-12-1985
171.	884(E)	4-12-1985
172.	38	18-1-1986
173.	98	8-2-1986
174.	218	22-3-1986
175.	226	29-3-1986
176.	378	31-5-1986
177.	766	20-9-1986
178.	885	18-10-1986
179.	1068	13-12-1986
180.	22	10-10-1987
181.	90	14-10-1987
182.	284(E)	13-5-1987
183.	471	20-6-1987
184.	615	15-8-1987
185.	796(E)	18-9-1987
186.	767	17-10-1987
187.	842	15-11-1987
188.	902	5-12-1987
199.	960	26-12-1987
190.	962	26-12-1987
191.	685(E)	14-12-1987
192.	52	23-1-1988
193.	295	16-4-1988
194.	297	16-4-1988
195	654(E)	26-5-1988
196.	761(E)	30-6-1988
197.	659	20-8-1988
198.	831(E)	2-8-1988
199.	745	24-9-1988
200.	1223(E)	28-12-1988
201.	1004	31-12-1988
202.	1108	31-12-1988
203.	80(E)	3-2-1988
204.	336(E)	1-3-1989
205.	341(E)	28-3-1989
206.	311	8-5-1989
207.	418	17-6-1989
208.	420	17-6-1989
209.	492	22-7-1989
210.	804	4-11-1989
211.	869	25-11-1989
212.	870	26-11-1989
213.	1044(E)	6-12-1989
214.	263	5-5-1990
215.	394	30-6-1990
216.	490	4-8-1990
217.	508	18-8-1990
218.	507	18-8-1990
219.	648	20-10-1990
220.	726	8-12-1990
221.	498	7-9-1991
222.	621	26-10-1991
223.	68	22-2-1992
224.	106	7-3-1992
225.	107	7-3-1992
226.	194	9-5-1992
227.	199	9-5-1992
228.	224	16-5-1992
229.	226	16-5-1992
230.	239	23-5-1992
231.	405	12-9-1992
232.	407	12-9-1992
233.	413	19-9-1992
234.	449	10-10-1992
235.	480	31-10-1992
236.	588	26-12-1992
237.	527	28-11-1992
238.	20	9-1-1993
239.	21	9-1-1993
240.	84	13-2-1993
241.	126	6-3-1993
242.	238	15-5-1993
243.	259	29-5-1993
244.	535(E)	6-8-1993
245.	447	11-9-1993
246.	598(E)	8-9-1993
247.	657(E)	15-10-1993

S. No.	G.S.R No.	Date
248.	655(E)	15-10-1993
249.	6	1-1-1994
250.	29	15-1-1994
251.	95(E)	12-2-1994
252.	343(E)	29-3-1994
253.	436(E)	9-5-1994
254.	310	2-7-1994
255.	334	23-7-1994
256.	382	30-7-1994
257.	443	3-9-1994
258.	357	29-7-1995
259.	434	30-9-1995
260.	478	18-11-1995
261.	569	30-12-1995
262.	68(E)	25-1-1996
263.	232	8-6-1996
264.	235	8-6-1996
265.	311	27-7-1996
266.	445(E)	27-9-1996
267.	555	14-12-1996
268.	277	5-7-1997
269.	285	12-7-1997
270.	287	12-7-1997
271.	305	9-8-1997
272.	596(E)	17-10-1997
273.	59	14-3-1998
274.	76	4-4-1998
275.	193(E)	20-4-1998
276.	231(E)	30-4-1998
277.	109	13-6-1998
278.	168	29-8-1998

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1998

सा०का०नि० 2.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1-ए) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1998 है ।

(2) ये नियम अगस्त, 1997 की पहली तारीख से लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में :—

(क) शीर्षक "ख" में "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं" में "विशेष वेतन" के स्थान पर "विशेष भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं, के शीर्षक में :—

(i) "विशेष वेतन" शब्द जहां कहीं आएं, के स्थान पर "विशेष भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3" राज्य सरकार द्वारा धारा (2) के अन्तर्गत विशेष भत्ते के रूप में मंजूर की जाने वाली कोई राशि 400 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए होगी जिसका निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को विशेष वेतन दिए जाने से सम्बन्धित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त, 1997 से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय को कार्यान्वित करने के मद्देनजर, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का तदनुसार एक अगस्त, 1997 से संशोधन किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या 14021/4/98-अ०भा०से०-(II)-ख]
बाई० पी० डींगरा, डैस्क अधिकारी

टिप्पणी :—प्रधान नियम दिनांक 14 सितम्बर, 1954 के राजपत्र संख्या 158 असाधारण द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

क्र० सं०	सा०का०नि० सं०	दिनांक
1.	115	15-03-58
2.	1474	09-10-65
3.	1475	09-10-65
4.	1597	15-01-66
5.	1438	24-09-66
6.	1779	25-11-66
7.	1832	03-12-66
8.	878	18-08-73
9.	1017	22-09-73
10.	1124	03-11-73
11.	1407	29-12-73

क्र० सं०	सा०का०नि० संख्या	तारीख
12.	33	18-01-74
13.	270	16-03-74
14.	549	08-06-74
15.	666	29-06-74
16.	945	07-09-74
17.	470(ई)	05-11-74
18.	471ई	5-11-74
19.	1261	30-11-74
20.	224	22-02-75
21.	51	18-01-75
22.	186ई	02-04-75
23.	347ई	25-06-75
24.	753	21-06-75
25.	651	31-05-75
26.	381ई	25-06-75
27.	349ई	25-06-75
28.	456ई	22-08-75
29.	2558ई	25-10-75
30.	541ई	27-10-75
31.	51	29-01-76
32.	341ई	15-06-76
33.	813	12-06-76
34.	814	12-06-76
35.	827	12-06-76
36.	252ई	25-05-76
37.	438ई	03-07-76
38.	758ई	04-05-76
39.	766ई	25-08-76
40.	791ई	07-09-76
41.	1317	25-09-76
42.	857ई	30-10-76
43.	895ई	03-11-76
44.	592ई	25-08-77
45.	1635	12-11-77
46.	1637	12-11-77
47.	543	29-04-78
48.	545	29-04-78
49.	253ई	17-03-79
50.	986	26-07-79
51.	655	30-11-79
52.	581ई	19-10-79
53.	400ई	09-07-80
54.	546ई	30-07-80
55.	806	06-09-80
56.	528ई	08-09-90
57.	602ई	25-10-80
58.	709ई	22-12-80
59.	397	12-04-81
60.	399	18-04-81
61.	597	27-06-81
62.	622ई	20-11-81
63.	610ई	21-11-81
64.	652ई	10-12-81
65.	270	13-03-82
66.	470	29-05-82
67.	499ई	16-07-82
68.	707	28-08-82
69.	621ई	20-12-82
70.	766ई	18-12-82
71.	345ई	20-04-83
72.	346ई	20-04-83
73.	510	16-07-83
74.	657	10-09-83
75.	675	17-09-83
76.	699	17-09-83
77.	731	08-10-83
78.	157	18-02-84
79.	198	25-02-84
80.	334	31-03-84
81.	431	05-05-84
82.	478	19-05-84
83.	647	30-06-84
84.	690	7-07-84
85.	786	23-07-84
86.	252	07-08-85
87.	832 ई	07-11-85
88.	310 ई	24-02-86
89.	409	07-06-86
90.	408	07-06-86
91.	480	28-06-86
92.	596	16-08-86
93.	781	06-09-86
94.	834	04-10-86
95.	883	18-10-86
96.	6	03-01-87
97.	24	10-01-87
98.	163	14-03-87
99.	166	14-03-87
100.	285 ई	13-03-87
101.	443	13-06-87
102.	490	27-06-87
103.	614	15-08-87
104.	700	19-09-87
105.	683 ई	14-12-87

क्र०सं०	सा०का०नि० सं०	तारीख
106.	991 ई	21-12-87
107.	101	20-02-88
108.	105	20-02-88
109.	188	26-03-88
110.	345	30-04-88
111.	586	23-07-88
112.	696	03-09-88
113.	1063 ई	07-11-88
114.	1221 ई	28-12-88
115.	000	31-12-88
116.	1002	31-12-88
117.	1006	31-02-88
118.	28	21-01-89
119.	99 ई	10 02-89
120.	365	20-05-89
121.	422	17-06-89
122.	584	12-08-89
123.	913	16-12-89
124.	914	16-12-89
125.	16	13-01-90
126.	264	05-05-90
127.	318	26-05-90
128.	412	07-07-90
129.	509	18-08-90
130.	606	29-09-90
131.	646	20-10-90
132.	715	01-12-90
133.	56	26-01-91
134.	240(ई)	26-04-91
135.	366	22-06-91
136.	404	13-07-91
137.	585	19-10-91
138.	588	26-10-91
139.	623	16-11-91
140.	655	21-12-91
141.	700	25-01-92
142.	33	01-02-92
143.	40	30-05-92
144.	249	19-09-92
145.	412	09-01-93
146.	23	20-02-93
147.	99	27-02-93
148.	119	27-02-93
149.	336(ई)	26-03-93
150.	536(ई)	06-09-93
151.	503	16-10-93
152.	4	01-01-94
153.	43	22-01-94
154.	341 ई	29-03-94
155.	397 ई	22-04-94
156.	244	28-05-94
157.	437 ई	09-05-94
158.	533 ई	24-06-94
159.	383	30-07-94
160.	541	05-11-94
161.	623	17-12-94
162.	838 ई	29-12-94
163.	91	04-03-95
164.	177	15-04-95
165.	358	29-07-95
166.	38(ई०)	21-02-97
167.	188	09-04-97
168.	283	12-07-97
169.	310	16-08-97
170.	345	04-10-97
171.	347	04-10-97
172.	597(ई०)	17-10-97
173.	378	15-11-97
174.	87(ई०)	27-02-98
175.	99(ई०)	27-02-98
176.	101(ई)	27-02-98
177.	103(ई०)	27-02-98
178.	110(ई०)	03-03-98
179.	112(ई०)	03-03-98
180.	114(ई०)	03-03-98
181.	116(ई०)	03-03-98
182.	185(ई०)	16-04-98
183.	195(ई०)	20-04-98
184.	197(ई०)	20-04-98
185.	209(ई०)	24-04-98
186.	211(ई०)	24-04-98
187.	213(ई०)	24-04-98
188.	215(ई०)	24-04-98
189.	217(ई०)	24-04-98
190.	271(ई०)	25-05-98
191.	485(ई०)	07-08-98
192.	169	28-08-98
193.	561(ई०)	04-09-98
194.	186	26-09-98
195.	627(ई०)	16-10-98

New Delhi, the 21st December, 1998

G.S.R. 2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1-A) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Twenty-Second Amendment Rules, 1998.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1997.

2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 :—

(a) in the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale", for the words "special pays", the words "special allowance" shall be substituted ;

(b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale,—

(i) for the words "special pay", wherever they occur, words "special allowance" shall be substituted ;

(ii) for clause (3), the following clause shall be substituted, namely :—

"(3) The amount of any special allowance which may be sanctioned by the State Governments under clause (2), shall be Rs. 400. Rs. 600, and Rs. 800, as may, from time to time, be determined by the State Government concerned."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission relating to the grant of special pay to the members of the All India Services with effect from the 1st August, 1997. With a view to inmplement this decision, the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 are being amended accordingly with effect from the 1st August, 1997.

It is certified that no member of the Indan Police Service is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these amendments.

[No. 14021/4/98-AIS (II)-B]

Y. P. DHINGRA, Desk Officer.

NOTE : Principal rules were published in the Gazette of India vide Gazette No. 152 dated 14-9-54 Part I ,section (1) (Extraordinary) and were subsequently amended vide the following notifications :—

S. No.	GSR No.	Date
1	2	3
1.	115	15-3-53
2.	1474	9-10-65
3.	1475	9-10-65
4.	1507	15-1-66
5.	1438	24-9-66
6.	1779	26-11-66
7.	1832	3-12-66
8.	878	18-8-73
9.	1017	22-9-73
10.	1124	3-11-73
11.	1407	29-12-73
12.	33	19-1-74
13.	270	16-3-74
14.	549	8-6-74
15.	666	29-6-74
16.	945	7-9-74
17.	470E	15-11-74
18.	471E	15-11-74
19.	1261	30-11-74
20.	224	22-2-75
21.	51	18-1-75
22.	186E	2-4-75
23.	347E	25-6-75
24.	753	21-6-75
25.	651	31-5-75
26.	381E	25-6-75
27.	349E	25-6-75
28.	456E	22-8-75
29.	2558E	25-10-75
30.	541E	27-10-75
31.	51	29-1-76
32.	341E	15-6-76
33.	813	12-6-76
34.	814	12-6-76
35.	827	12-6-76
36.	252E	25-5-76
37.	438R	3-7-76
38.	758E	4-5-76
39.	766E	25-8-76
40.	791E	7-9-76
41.	1317	25-9-76
42.	857E	30-10-76
43.	895E	3-11-76
44.	592E	25-8-77
45.	1635	12-11-77
46.	1537	12-11-77
47.	543	29-4-78
48.	544	29-4-78
49.	253E	17-3-79
50.	986	26-7-79
51.	655	30-11-79
52.	581E	19-10-79
53.	400E	9-7-80
54.	546E	30-7-80

1	2	3
55.	896	6-9-80
56.	528E	8-9-80
57.	602E	25-10-80
58.	709E	22-12-80
59.	397	12-4-81
60.	399	18-4-81
61.	597	27-6-81
62.	622E	20-11-88
63.	610E	21-11-81
64.	652E	10-12-81
65.	270	13-3-82
66.	479	29-5-82
67.	499E	16-7-82
68.	707	28-8-82
69.	621E	20-12-82
70.	766E	18-12-82
71.	345E	20-4-83
72.	346E	20-4-83
73.	510	16-7-83
74.	657	10-9-83
75.	675	17-9-83
76.	699	17-9-83
77.	731	8-10-83
78.	157	18-2-84
79.	198	25-2-84
80.	334	31-3-84
81.	431	5-5-84
82.	478	29-5-84
83.	647	30-6-84
84.	690	7-7-84
85.	786	28-7-84
86.	252	9-8-85
87.	832E	7-11-85
88.	310E	24-2-86
89.	409	7-6-87
90.	408	7-6-87
91.	480	28-6-86
92.	596	16-8-86
93.	781	6-9-86
94.	834	4-10-8
95.	883	18-10-86
96.	6	3-1-87
97.	24	10-1-97
98.	163	14-3-87
99.	166	14-3-87
100.	285E	13-3-87
101.	443	13-6-87
102.	400	27-6-87
103.	614	15-8-87
104.	700	19-9-87
105.	688E	14-12-87
106.	000E	21-12-87
107.	101	20-2-88
108.	105	20-2-88
109.	188	26-3-88
110.	345	30-4-88
111.	586	23-7-88
112.	696	3-9-88
113.	1063E	7-11-88
114.	1221E	28-12-88
115.	1000	31-12-88
116.	1002	31-12-88
117.	1006	31-12-88
118.	28	21-1-89
119.	99E	10-2-89
120.	365	20-5-89
121.	422	17-6-89
122.	584	12-8-89
123.	913	16-12-89
124.	914	16-12-89
125.	16	13-1-90
126.	264	5-5-90
127.	318	26-5-90
128.	412	7-7-90
129.	509	18-8-90
130.	606	29-9-90
131.	646	20-10-90
132.	715	1-12-90
133.	56	26-1-91
134.	240E	26-4-91
135.	366	22-6-91
136.	404	13-7-91
137.	585	19-10-91
138.	588	26-10-91
139.	623	16-11-91
140.	655	21-12-91
141.	700	25-1-92
142.	33	1-2-92
143.	40	30-5-92
144.	249	19-9-92
145.	412	9-1-93
146.	23	20-2-93
147.	99	27-2-93
148.	119	27-2-93
149.	336(E)	26-3-93
150.	536(E)	6-9-93
151.	503	16-10-93
152.	4	1-1-94
153.	43	22-1-94
154.	341(E)	23-9-94
155.	397(E)	22-4-94
156.	244	28-5-94
157.	437(E)	9-5-94
158.	533(E)	24-6-94
159.	483	30-7-94
160.	541	5-11-94
161.	623	17-12-94
162	888(E)	17-12-94
163.	91	4-3-95
164.	177	15-4-1995
165.	358	29-7-1995
166	88(E)	21-2-1997

1	2	3
167.	188	9-4-1997
168.	283	12-7-1997
169.	310	16-8-1997
170.	345	4-10-97
171.	347	4-10-97
172.	597(E)	17-10-1997
173.	378	15-11-1997
174.	97(E)	27-2-1998
175.	99(E)	27-2-1998
176.	101(E)	27-2-1998
177.	103(E)	27-2-1998
178.	110(E)	3-3-1998
179.	112(E)	3-3-1998
180.	114(E)	3-3-1998
181.	116(E)	3-3-1998
182.	185(E)	16-4-1998
183.	195(E)	20-4-1998
184.	197(E)	20-4-1998
185.	209(E)	24-4-1998
186.	211(E)	24-4-1998
187.	213(E)	24-4-1998
188.	215(E)	24-4-1998
189.	217(E)	24-4-1998
190.	271(E)	25-5-1998
191.	485(E)	7-8-1998
192.	169	20-8-1998
193.	561(E)	4-9-1998
194.	186	26-9-1998
195.	627(E)	16-10-1998

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1998

सा०का०नि० 3.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1-ए) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य-सरकारों के परामर्श से, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1998 है ।

(2) ये नियम अगस्त 1997 की पहली तारीख से लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम 1968 की अनुसूची III में —

(क) शीर्षक "ख" में "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं" में "विशेष वेतन" के स्थान पर "विशेष भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं, के शीर्षक में :—

(i) "विशेष वेतन" शब्द जहां कहीं आए, के स्थान पर "विशेष भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3. राज्य सरकार द्वारा धारा (2) के अन्तर्गत विशेष भत्ते के रूप में मंजूर की जाने वाली कोई राशि 400 रुपए 600 रुपए 800 रुपए होगी जिसका निर्धारण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को विशेष भत्ते दिए जाने से संबंधित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त, 1997 से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय को कार्यान्वित करने के मद्देनजर, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 का तदनुसार एक अगस्त, 1997 से संशोधन किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय वन सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० 14021/4/98-अ०भा०से०-(II)-ग]

वाई०पी० हीरा डैस्क अधिकारी

टिप्पणी : —मूल नियमों को दिनांक 16 मार्च, 1968 को सा०का०नि० सं० 462 के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा बाद में नीचे दिए गए संशोधन किए गए :—

क्र०सं०	सा०का०नि० सं०	प्रकाशन की तारीख
1.	1831	12-10-68
2.	1830	12-10-68
3.	124	18-01-69
4.	770	15-03-69
5.	1269	31-05-69
6.	2176	13-09-69
7.	603	11-04-70
8.	758	09-05-70
9.	138 ई	24-01-71
10.	662	08-05-71
11.	22 ई	11-01-72
12.	46 ई	20-01-72
13.	493	29-04-72
14.	401 ई०	02-09-72
15.	1313	14-10-72
16.	1157	27-10-73
17.	344	06-04-74
18.	472 ई०	16-11-74
19.	781	28-06-75
20.	403 ई	16-06-75
21.	2228	16-06-75
22.	751 ई	03-08-76
23.	2228	28-08-76
24.	2559	26-10-75
25.	832 ई	26-07-78

क्र०सं०	सा०का०नि० संख्या	तारीख
26.	445 ई	06-07-76
27.	1285	01-10-77
28.	632 ई	05-10-77
29.	14 ई	06-01-76
30.	696	03-06-78
31.	361 ई	13-07-78
32.	362 ई	13-07-78
33.	935	29-07-78
34.	437 ई	29-08-79
35.	773	09-06-79
36.	487 ई	25-08-80
37.	563 ई	30-09-80
38.	566 ई	01-10-80
39.	1075	18-10-80
40.	1035	01-11-80
41.	827 ई	03-11-80
42.	632 ई	04-11-80
43.	22 ई	17-01-81
44.	32 ई	23-01-81
45.	361 ई	23-05-81
46.	377 ई	02-06-81
47.	387 ई	09-06-81
48.	601 ई	16-11-81
49.	606 ई	17-11-81
50.	654 ई	14-12-81
51.	295 ई	01-04-82
52.	355 ई	26-04-82
53.	357 ई	27-04-82
54.	439 ई	31-05-82
55.	531 ई	20-08-82
56.	25 ई	12-01-83
57.	479 ई	09-06-83
58.	838 ई	08-11-83
59.	32	21-01-84
60.	119	11-02-84
61.	94 ई	19-02-85
62.	127 ई	28-02-85
63.	309 ई	26-03-85
64.	328 ई	29-03-85
65.	490 ई	22-06-85
66.	204 ई	14-02-86
67.	267	12-04-86
68.	665	30-08-86
69.	764	20-09-86
70.	779	27-09-86
71.	797	27-09-86
72.	830	04-10-86
73.	838	04-10-86
74.	881	18-10-86
75.	165	14-03-87
76.	286 ई	13-03-87
77.	408	30-06-87
78.	618	15-08-87
79.	801	31-10-87
80.	827	07-11-87
81.	837	14-10-87
82.	838	14-11-87
83.	433 ई	06-04-88
84.	547 ई	04-05-88
85.	835 ई	03-08-88
86.	353 ई	10-03-89
87.	553 ई	16-05-89
88.	455	01-07-89
89.	833	11-11-89
90.	917	16-12-89
91.	934	30-12-89
92.	265	05-05-90
93.	589	20-09-90
94.	604	20-09-90
95.	727	08-12-90
96.	729	08-12-90
97.	126 ई	05-03-91
98.	474	24-08-91
99.	526	14-09-91
100.	564	05-10-91
101.	583	19-10-91
102.	22	01-09-93
103.	539 ई	06-08-93
104.	537 ई	06-08-93
105.	686 ई	04-11-93
106.	688 ई	04-11-93
107.	438 ई	09-05-94
108.	384	30-07-94
109.	515	22-10-94
110.	593	03-12-94
111.	265	03-06-95
112.	277	10-06-95
113.	340	22-07-95
114.	359	29-07-95
115.	376	12-08-95
116.	481	18-11-95
117.	504	02-12-95
118.	505	02-12-95

क्र०सं०	सा०का०नि० सं०	तारीख
119.	551	16-12-95
120.	76 (ई)	05-02-96
121.	78(ई)	05-02-96
122.	586(ई)	26-12-96
123.	588(ई)	26-12-96
124.	590(ई)	26-12-96
125.	18(ई)	17-01-97
126.	598(ई)	17-10-97
127.	414	20-12-97
128.	41	21-02-98
129.	170	29-08-98
130.	187	26-09-98
131.	618(ई)	14-10-98

New Delhi, the 21st December, 1998

G.S.R. 3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1-A) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 1998.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1997.

2. In Schedule III to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968,

(a) in the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale", for the words "special pays", the words "special allowance" shall be substituted;

(b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale" :—

(i) for the words "special pay", wherever they occur, words "special allowance" shall be substituted ;

(ii) for clause (2), the following clause shall be substituted, namely :—

"(2) The amount of any special allowance which may be sanctioned by the State Governments under clause (1-A), shall be Rs. 400, Rs. 600, or Rs. 800, as may, from time to time, be determined by the State Government concerned."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission relating to the grant of special pay to the members of the All India Services with effect from the 1st August, 1997. With a view to implement this decision, the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968 are being amended accordingly with effect from the 1st August, 1997.

It is certified that no member of the Indian Forest Service is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these amendments.

[No. 14021/4/98-AIS (II)-C]

Y. P. DHINGRA, Desk Officer

Note .—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 2/11/56-AIS (IV) dated 2-3-1968 as GSR No. 482 dated the 16th March, 1968 and subsequently amended vide

Sl. No.	GSR No.	Date of Publication
1	2	3
1.	1831	12-10-1968
2.	1830	12-10-68
3.	124	18-1-69
4.	770	15-3-69
5.	1629	31-5-69
6.	2176	13-9-69
7.	603	11-4-70
8.	750	9-5-70
9.	103(E)	24-1-71
10.	662	8-5-71
11.	22E	11-1-72
12.	46E	20-1-72
13.	493	29-4 72
14.	401E	2-9-72
15.	1313	14-10-72
16.	1157	27-10-73
17.	344	6-4-74
18.	472E	15-11-74
19.	781	28-6-75
20.	408E	16-6-75
21.	222E	16-6-75
22.	251E	3-8-76
23.	2268	23-8-75
24.	2558	26-10-75
25.	832E	26-7-78
26.	445E	6-7-76
27.	1285	1-10-77
28.	632E	5-10-77
29.	14E	6-1-76
30.	696	3-6-78
31.	361E	13-7-78
32.	362E	13-7-78
33.	935	29-7-78

1	2	3
34.	437F	29-8-78
35.	773	9-6-79
36.	487E	25-8-80
37.	563E	30-9-80
38.	566E	1-10-80
39.	1075	18-10-80
40.	1035	1-11-80
41.	827E	3-11-80
42.	632E	4-11-80
43.	22E	17-1-81
44.	32E	23-1-81
45.	361E	23-5-81
46.	377E	2-6-81
47.	387E	9-6-81
48.	601E	16-11-81
49.	606E	17-11-81
50.	654E	14-12-81
51.	295E	1-4-82
52.	355E	26-4-82
53.	357E	27-4-82
54.	439E	31-5-82
55.	531E	20-8-82
56.	25E	12-1-83
57.	479E	9-6-83
58.	838E	8-11-83
59.	32	21-1-84
60.	119	11-1-84
61.	94E	19-2-85
62.	127E	28-2-85
63.	309E	26-3-85
64.	328E	29-3-85
65.	490E	22-6-85
66.	204E	14-2-86
67.	267	12-4-86
68.	665	30-8-86
69.	764	20-9-86
70.	779	27-9-96
71.	797	27-9-86
72.	830	4-10-86
73.	838	4-10-86
74.	881	18-10-86
75.	165	14-3-87
76.	286F	13-3-87
77.	408	30-5-87
78.	618	15-8-87
79.	801	31-10-87
80.	827	7-11-87
81.	837	14-10-87
82.	838	14-11-87
83.	433E	6-4-88
84.	547E	4-5-88
85.	835E	3-8-88
86.	353E	10-3-89
87.	553E	16--5-89
88.	455	1-7-89
89.	833	11-11-89
90.	917	16-12-89
91.	934	30-12-89
92.	265	5-5-90
93.	589	22-9-90
94.	604	29-9-90
95.	727	8-12-90
96.	729	8-12-90
97.	126(E)	5-3-91
98.	474	24-8-91
99.	526	14-9-91
100.	564	5-10-91
101.	583	19-10-91
102.	22	9-1-93
103.	539(E)	6-8-1993
104.	537(E)	6-8-1993
105.	686(E)	4-11-1993
106.	688(E)	4-11-1993
107.	438(E)	9-5-1994
108.	384	30-7-1994
109.	515	22-10-1994
110.	593	3-12-1994
111.	265	3-6-1995
112.	277	10-6-1995
113.	340	22-7-1995
114.	359	29-7-1995
115.	376	12-8-1995
116.	481	18-11-1995
117.	504	2-12-1995
118.	505	2-12-1995
119.	551	16-12-1995
120.	76(E)	5-2-1996
121.	78(E)	5-2-1996
122.	586(E)	26-12-1996
123.	588(E)	26-12-1996
124.	590(E)	26-12-1996
125.	18(E)	17-1-1997
126.	598(E)	17-10-1997
127.	41	20-12-1997
128.	41	21-2-1998
129.	170	29-8-1998
130.	187	26-9-1998
131.	618(E)	14-10-1998

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, 4 सितम्बर, 1998

सा.का.नि. 4:—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 73 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उप धारा (3) के अनुसरण में, रिजर्व बैंक भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति

को उस स्थिति में, प्रदान की गयी सेवाओं के लिए अथवा भारत में बेचे गये माल के लिए पारिश्रमिक हेतु भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करता है, जब इस तरह का भुगतान निवासी भारतीय द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना सं. फेरा 183/98-आरबी के अनुसरण में तथा उसके अनुसार, खोले गये विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में से आहरण द्वारा किया गया हो।

बशर्ते इस तरह से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार की दिनांक 17 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. जीएस आर 679 (ई) (एफ 10/22/90-एन आरआई सेल) में निर्धारित तरीके से किसी प्राधिकृत व्यापारी को बिक्री के लिए उसे प्रदान कर दे या प्रदान करादे।

[अधिसूचना सं. फेरा 186/98-आरबी]

सी. हरिकुमार, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 4th September, 1998.

G.S.R. 4.—In pursuance of sub section (1) of section 8 read with sub-section (3) of section 73 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Reserve Bank is pleased to permit every person resident in India to acquire foreign exchange by way of payment for remuneration for services rendered or goods sold in India when such payment is made by a resident Indian by withdrawal from his Exchange Earners Foreign Currency Account opened pursuant to, and in accordance with, the Notification No. FERA. 183/98-RB, dated 22nd April, 1998.

Provided that a person who acquires foreign exchange in such manner shall within seven days from its receipt, offer it or cause it to be offered for sale to an authorised dealer, and in the manner laid down in the Central Government's Notification No. G.S.R. 679(E) (F-10/22/90-NRI Cell), dated 17th July, 1992.

[Notification No. FERA. 186/98-RB.]

C. HARIKUMAR, Executive Director.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 5—. केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का नाम रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. सूचनाओं में दिये जाने वाले विवरण :—

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 113 में उल्लिखित सूचनाओं में निम्नलिखित विवरण दिया जायेगा, अर्थात् —

(1) किलोमीटर —दूरी या स्टेशन या दोनों, जहां दुर्घटना घटी हो,

(2) दुर्घटना का समय और तारीख

(3) गाड़ी या गाड़ियों का नम्बर और उसका या उनका विवरण,

(4) दुर्घटना का प्रकार,

(5) मारे गये या आहत व्यक्तियों की संख्या, जहां तक ज्ञात हो, और

(6) दुर्घटना का कारण, जहां तक ज्ञात हो, और

(7) यातायात में सम्भावित निरोध।

3. सूचनाएं भेजने की जिम्मेदारी:—किसको और किस क्रम से भेजी जायेगी —

जब कभी कोई ऐसी दुर्घटना, जो अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत आती हो, रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में घटित होती है, (इसमें इसके पश्चात् इसे "रिपोर्ट करने योग्य रेलगाड़ी दुर्घटना" कहा गया है) तो दुर्घटना स्थल से सब से पास का स्टेशन मास्टर, या जहां कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेलवे के उस खण्ड का भारसाधक रेल सेवक, जहां दुर्घटना घटित हुई है, या रेल के किसी खंड का कोई अन्य भारसाधक स्टेशन मास्टर, जिससे दुर्घटना की रिपोर्ट की गई हो, दुर्घटना की सूचना, रेल सुरक्षा आयुक्त, जिस जिले में दुर्घटना घटित हुई हो उसके जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को या ऐसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, जिसे सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, तार द्वारा और रेल पुलिस के अधीक्षक और उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर दुर्घटना घटित हुई हो, तार, टेलीफोन या विशेष सदेशवाहक या किन्हीं अन्य उपलब्ध द्रुत माध्यम से देगा।

स्पष्टीकरण—

इस नियम के प्रयोजन के लिये अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत "रिपोर्ट करने योग्य रेलगाड़ी दुर्घटना" जिनके अन्तर्गत ऐसी दुर्घटनाएं भी आती हैं जिनमें साधारणतः, जनहानि हुई हो, (जिसे यात्री गाड़ियों की टक्करें, पटरी से उतर जाना, गाड़ी ध्वस या गाड़ी ध्वस करने के प्रयास जैसी दुर्घटनाएं, लाईन के ऊपर रखी गई

रुकावटों के ऊपर से गाड़ी का गुजर जाना, यात्रियों के गाड़ी से बाहर गिरने या गाड़ियों में आग लगने जैसा मामले, या भारतीय दंड संहिता में यथापरिभाषित घोर उपहति (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोर उपहति कहा गया है) आई हो या रेल सम्पत्ति को पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति की जो भले ही वास्तविक रूप से न पहुंची हो लेकिन दुर्घटना के प्रकार को देखते हुए ऐसा होने की समुचित आशंका रही हो; और इसमें भू-स्खलन या वर्षा अथवा बाढ़ से लाईन टूट जाने के वे मामले भी शामिल माने जायेंगे जिनके कारण संचार की किसी महत्वपूर्ण सीधी लाईन पर कम से कम 24 घंटे यातायात में अवरोध हो जाये।

4. राज्य सरकार को सूचनाएं भेजने का ढंग :

दुर्घटनाओं की वह सूचना, जिसका कि अधिनियम की धारा 113 के अधीन रेल प्रशासन द्वारा अविलम्ब भेजा जाना अपेक्षित है, राज्य सरकार को :—

(क) निम्नलिखित मामलों में तार द्वारा—

(1) नियम 3 के स्पष्टीकरण के अधीन, जनहानि के कारण, गम्भीर समझी जाने वाली दुर्घटनाएं,

(2) ऐसी दुर्घटनायें, जिनके कारण स्थाई रेल पथ के 24 घंटों से अधिक समय के लिये बंद रहने की संभावना है, और

(3) गाड़ी ध्वंस या गाड़ी ध्वंस करने के प्रयास, और

(ख) अन्य सभी मामलों में पत्र द्वारा, भेजी जायेगी।

5. रेल सेवकों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :

हर रेल सेवक, रेल संचालन के अनुक्रम में घटित होने वाली ऐसी हर दुर्घटना की, जो उसकी जानकारी में आये, रिपोर्ट यथासंभव कम से कम विलम्ब में करेगा और ऐसी रिपोर्ट सबसे निकट के स्टेशन मास्टर से या कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेल के उस खण्ड के भारसाधक रेल सेवक से की जायेगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो।

6. स्टेशन मास्टर या खण्ड के भारसाधक रेल सेवक द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :

स्टेशन मास्टर या खण्ड का भारसाधक रेल सेवक, दुर्घटनाओं की रिपोर्ट उन नियमों के अनुसार करेगा जो संबंधित रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिये अधिकथित है।

7. रेल प्रशासन द्वारा गम्भीर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :—

(1) जब कभी रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के उपनियम (2) में यथा परिभाषित कोई गम्भीर दुर्घटना घटित हो, तो संबंधित रेल प्रशासन, दुर्घटना घटने के बाद यथा संभव शीघ्र प्रेस को तार द्वारा ऐसे विवरण जो नियम 2 में उल्लिखित हैं और तब तक उपलब्ध हैं, भेजेगा और आगे सूचना उपलब्ध होने के तुरन्त बाद, यदि आवश्यक हो तो अनुपूरक तार द्वारा भेजी जायेंगी। साथ ही साथ, एक प्रति एक्सप्रैस तार द्वारा रेल बोर्ड, संबंधित परिमण्डल के रेल संरक्षा आयुक्त और मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भी भेजी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिस मण्डल पर कोई गंभीर दुर्घटना घटित हुई है उसका नियंत्रक, दूरभाष द्वारा रेल संरक्षा आयुक्त को सूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिये कोई दुर्घटना वहां गम्भीर दुर्घटना मानी जायेगी जहां :—

(i) दुर्घटना यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी के साथ हुई हो जिसमें रेलगाड़ी में जनहानि हुई हो या यात्री या यात्रियों को घोर उपहति हुई हो या जिसमें रेल सम्पत्ति को गंभीर नुकसान हुआ हो जिसका मूल्य रु. 25,00,000 से अधिक हो या अन्य कोई दुर्घटना जिसकी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल सुरक्षा आयुक्त की राय में रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच करना अपेक्षित हो कोई कर्मकार गाड़ी या मिट्टी ले जाने वाली गाड़ी या सामान ढोने वाली या दुर्घटना सहायता गाड़ी या टाघर वैगन या कर्मकारों को ले जाने वाली किसी प्रकार अन्य गाड़ी, या पशु स्पेशल/प्राधिकृत रक्षकों को ले जाने वाली मिलिटरी स्पैशल या इसी प्रकार की गाड़ियों को यात्री गाड़ी माना जायेगा।

(ii) यात्रियों को ले जाने वाली दुर्घटनाग्रस्त यात्री गाड़ी से किसी रेल सेवक की जीवन हानि या घोर उपहति हो जाती हो तो बिना इस बात पर विचार किये कि वह उस गाड़ी में यात्रा कर रहा था या नहीं या रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की परिधि में आयेगा और "गम्भीर रेल दुर्घटना" माना जायेगा। परन्तु यह कि—

(क) स्वयं अपनी लापरवाही से गाड़ी के नीचे आ जाने और उपहति या मर जाने वाले अतिचारियों या स्वयं अपनी लापरवाही से उपहत या मर जाने वाले यात्रियों के मामले, और

(ख) ऐसे व्यक्ति जो रेल सेवक हैं या विधिमान्य पास/टिकट धारक है या अन्यथा जो यात्री गाड़ी के चल स्टाक से बाहर जैसे फुट बोर्ड पर या

छत पर या बसर पर, लेकिन दो डिब्बों को जोड़ने वाले बीच के रास्ते के भीतरी भाग को छोड़कर, यात्रा करते हुए मर जाते हैं या गंभीर रूप से उपहत होते हैं या समपार पर या रेल पथ पर और कहीं यात्री गाड़ी द्वारा कुचले जाते हैं के मामले, और

(ग) समपार पर सड़क यान और यात्री गाड़ी के बीच टक्कर जिसमें कोई यात्री या रेल सेवक न मरा हो या गम्भीर रूप से उपहत न हुआ हो "गम्भीर रेल दुर्घटना" नहीं समझी जायगी, तब भी जब वे जो सड़क यान से यात्रा कर रहे हैं, मरते हैं या गम्भीर रूप से उपहत होते हैं, "गम्भीर रेल दुर्घटना" नहीं समझी जायेगी जब तक कि मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त का यह विचार न हो कि दुर्घटना की जांच रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा कराई जाना अपेक्षित है।

8. दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की सुविधा :

जब कभी रेल संचालन के दौरान कोई दुर्घटना घटित हुई, तो सम्बन्धित रेल प्रशासन का प्रधान, जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त या प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग को या किसी अन्य प्राधिकारी को, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध लागू किये गये हों और रेल संरक्षा आयुक्त चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस व अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को सभी, उचित सहायता देगा ताकि वे दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंच सके और वह जांच करने और दुर्घटना के कारण के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने में भी इन प्राधिकारियों की सहायता करेगा।

9. दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से उपहत हुए व्यक्तियों को डाक्टरी सहायता :

जब किसी रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली किसी दुर्घटना में किसी को गंभीर उपहति हो जाये तो सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ितों को डाक्टरी सहायता दे और वह देखे कि जब तक पीड़ितों को उसके घर न पहुंचा दिया जाये या उनके सम्बन्धियों या मित्रों को उन्हें न सौंप दिया जाये तब तक उनकी उचित प्रकार से और सावधानीपूर्वक सेवा सुश्रुषा की जाती है। ऐसे किसी मामले में, या किसी ऐसे मामले में जिसमें जनहानि हुई और अथवा किसी को गंभीर उपहति हुई हो, तो निकटतम उपलब्ध स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को, यदि वह रेलवे चिकित्सा अधिकारी की अपेक्षा निकट हो, बुलाया जायेगा।

10. न्यायिक जांच या रेल सुरक्षा आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच स्थल पर रेल सेवकों की हाजिरी की व्यवस्था करना :

जब रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन या इन नियमों के नियम 17 के अधीन कोई जांच या कोई न्यायिक जांच की जा रही हो तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान ऐसे सभी रेल सेवकों की, जिनके साक्ष्य की ऐसी जांच के समय अपेक्षा की जाने की संभावना हो, जांच स्थल पर जब तक आवश्यक हो, हाजिरी की व्यवस्था करेगा; और यदि जांच रेल दुर्घटनाओं की कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जानी हो, तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान,

(क) नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (क) और (ग) में उल्लिखित अधिकारियों को जांच शुरू होने की तारीख, समय और स्थान की सूचना दिलवायेगा, तथा

(ख) जांच में साक्षी के रूप में अपेक्षित मण्डल अधिकारियों/रेल सेवकों की उपस्थिति की भी व्यवस्था करेगा।

11. रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट मिलने पर रेल प्रशासन के प्रधान द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :

जब कभी सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 4 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो, तो वह तुरन्त उसकी पावती अभिस्वीकार करेगा, और

(क) वह रेल प्रशासन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर तुरन्त रिपोर्ट में व्यक्त विचारों पर अपनी टिप्पणियां रेल संरक्षा आयुक्त को साथ ही एक प्रति रेल संरक्षा आयुक्त को देगा और यदि वह तुरन्त अपनी टिप्पणी देने में असमर्थ हो तो रिपोर्ट की अभिस्वीकृति में अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा कि वह अपनी टिप्पणी बाद में यथाशक्य शीघ्र भेजेगा;

(ख) यदि संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान रिपोर्ट में व्यक्त विचारों से सहमत है और किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों पर अभियोजना करना वांछनीय समझता हो, तो वह ऐसे व्यक्तियों के विवरण की रिपोर्ट उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें दुर्घटना घटित हुई है या अन्य ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त करे और संबंधित पुलिस प्राधिकारी को तुरन्त भेजेगा;

(ग) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस प्राधिकारी रिपोर्ट की प्रति की अपेक्षा करता है तो उसे भेजा जा सकेगा और रिपोर्ट की गोपनीयता के लिये जिला/पुलिस प्राधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये, तथा पुलिस प्राधिकारी किसी

अभिधोजना को चलाने के सम्बन्धित उनके विनिश्चय के बारे में सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान को यथाशक्य शीघ्र सूचित करेगा।

12. रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर रेल प्रशासन का प्रधान अपनी टिप्पणियां देगा :

जब कभी रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट किसी नियम अथवा रेल संचालन की प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर संकेत करे या परिवर्तन का सुझाव दे, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, वैसी दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिये की गई अथवा किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को तथा एक प्रति रेल संरक्षा आयुक्त को देगा।

13. संयुक्त जांच कब अभिमुक्ति दी जाए :

(1) जब कभी, रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना जैसी अधिनियम की धारा 113 में वर्णित है, रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, दुर्घटना के कारणों का पूरा अन्वेषण करने के निमित्त रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा शीघ्र जांच (जिसे "संयुक्त जांच" कहा जायेगा) करवायेगा।

परन्तु ऐसी जांच से अभिमुक्ति दी जा सकेगी—

(क) यदि रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त, जांच आयोग द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी, जिस पर रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, के नियम 2 के अधीन उक्त जांच आयोग अधिनियम के सभी अथवा कोई उपबन्ध लागू किये गये हों, द्वारा कोई जांच की जानी हो, या

(ख) यदि दुर्घटना के कारण के संबंध में कोई भी युक्तियुक्त सन्देह न हो, या

(ग) यदि सम्बन्धित रेल प्रशासन का कोई विभाग सूचित करे कि वह इस मामले पूरी जिम्मेदारी मानता है,

(2) जहां उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन इस प्रकार की जांच से अभिमुक्ति की गई हो वहां दुर्घटना के लिये उत्तरदायी रेल प्रशासन के विभाग के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच (जिसे "विभागीय जांच" कहा जाये) करे, जैसी वह आवश्यक समझता हो और यदि त्रुटि उसके कर्मचारियों या प्रणाली या कार्यकरण की हो, तो ऐसे उपाय करे अथवा ऐसे उपायों का सुझाव दे, जिन्हे वह इस प्रकार की दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक समझता हो।

14. संयुक्त जांच की सूचना :

(1) जब कभी संयुक्त जांच की जानी हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान निम्नलिखित अधिकारियों को जांच प्रारम्भ होने की तारीख तथा समय की सूचना देने की व्यवस्था करेगा, अर्थात् :—

(क) उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जिसमें दुर्घटना घटित हुई हो या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, रेलवे पुलिस के अधीक्षक को तथा जिला पुलिस अधीक्षक को,

(ख) रेल के उस खण्ड के रेल संरक्षा आयुक्त को जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो, और

(ग) उस रेल पुलिस के प्रधान को, जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है जहां दुर्घटना घटित हुई हो, या यदि वहां कोई भी रेल पुलिस न हो, तो उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी अधिकारिता में वह स्थान पड़ता हो।

(2) जांच शुरू होने की तारीख व समय इस प्रकार नियत किए जाएंगे कि उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उस स्थान पर जहां जांच होनी है, पहुचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए।

(3) जब रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के उपनियम (5) के अधीन जांच करने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की असमर्थता के बारे में सूचना प्राप्त होने पर किसी दुर्घटना की संयुक्त जांच की जाए तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान इस सम्बंध में एक प्रेस नोट भी जारी करेगा जिसमें जांच के दौरान साक्ष्य देने या दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रेस नोट में विनिर्दिष्ट पते पर संयुक्त जांच समिति को जानकारी भेजने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाएगा।

15. संयुक्त जांच अथवा विभागीय जांच की रिपोर्ट रेल प्रशासन के प्रधान को भेजा जाना और उस पर की जाने वाली कार्रवाई :

(1) जैसे ही कोई संयुक्त जांच अथवा विभागीय जांच समाप्त हो, यथास्थिति रेल अधिकारियों की समिति का अध्यक्ष या विभाग का प्रधान सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा :—

(क) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन;

(ख) दुर्घटना स्थल का वर्णन;

(ग) लिये गए साक्ष्य का ब्यौरेवार विवरण;

(घ) विसम्मति नोट, यदि कोई हो, सहित निकाले गये निष्कर्ष;

(ङ) निकाले गए निष्कर्षों के कारण ;

(च) हुई क्षति का प्रकार और सीमा;

(छ) दुर्घटना का दृष्टांत रूप एक नक्शा यदि आवश्यक हो ;

(ज) मृत या उपहत रेल सेवकों की संख्या ;

(झ) मृत या उपहत यात्रियों की संख्या;
एक परिशिष्ट जिसमें उन नियमों के उद्धरण होंगे जिनका अतिक्रमण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा किया गया हो ।

(2) सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों अथवा नियमों या कार्य-प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए आशयित कार्रवाई के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी सहित, उपनियम (1) में निर्देशित रिपोर्ट की एक प्रति :

(क) रेलवे के उस खंड के रेल सुरक्षा आयुक्त को, जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो;

(ख) यदि नियम 17 के अधीन कोई जांच या अन्वेषण न किया गया हो, या यदि पहले कोई संयुक्त या विभागीय जांच की गयी हो, तो जिला मजिस्ट्रेट को या नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी को, और

(ग) यदि कोई न्यायिक जांच की जा रही हो, तो जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को, भेजेगा ।

(3) पूर्वोक्त रिपोर्ट की प्रति के साथ :—

(क) उपनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में उन व्यक्तियों के कथन की जो दुर्घटना में अन्तर्ग्रसित हों और जिन का अभियोजन करना सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान वांछनीय समझता हो ; और

(घ) उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, जांच में लिये गये साक्ष्य की एक प्रति होगी।

16. धारा 113 के अन्तर्गत न आने वाली दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट रेल संरक्षा आयुक्त को भेजी जाना :—

(1). जब कभी अधिनियम की धारा 113 में विनिर्दिष्ट प्रकृति से भिन्न प्रकार की कोई दुर्घटना जैसे टक्करों को बचा लेना, ब्लाक नियमों के उल्लंघन या अन्य सम्बन्धित दुर्घटनाएं, किसी रेल संचालन के दौरान घटित होती हैं तो सम्बंधित रेल प्रशासन दुर्घटना की संयुक्त जांच या विभागीय जांच करा सकता है ।

(2). यदि उपनियम (1) में यथा उपबंधित कोई जांच की जाती है तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान जांच रिपोर्ट की एक प्रति, रेलवे के जिस खंड पर दुर्घटना घटी हो उसके रेल संरक्षा आयुक्त को भेजेगा ।

17. मजिस्ट्रेट द्वारा जांच :—

जब कभी अधिनियम की धारा 113 में वर्णित कोई दुर्घटना रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त नियुक्त किया हो या तो :—

(क) उन कारणों की जांच जिनके कारण दुर्घटना हुई है, स्वयं कर सकेगा ; या

(ख) ऐसी जांच करने के लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को, जो यदि संभव हो तो, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा, प्रतिनियुक्त कर सकेगा; या

(ग) यह निदेश कर सकेगा कि जिन कारणों की वजह से दुर्घटना घटी है, उनका अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाए ;

परन्तु यदि, दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसने जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हों, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी इस नियम के अधीन अपनी जांच या अन्वेषण नहीं करेगा और यदि उसने पहले ही जांच या अन्वेषण शुरू कर दिया हो तो उसे और आगे नहीं बढ़ायेगा, और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जांच या अन्वेषण से सम्बंधित साक्ष्य, अभिलेख या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे में हों, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देगा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

18. मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की सूचना :—

जब कभी नियम 17 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन जांच करने का विनिश्चय किया जाए, तो यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या पूर्वोक्त रूप में नियुक्त अन्य मजिस्ट्रेट या नियम 17 के खंड (ख) के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तुरन्त संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को और मण्डल रेल प्रबंधक को तार द्वारा जांच शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा ताकि रेल प्रशासन अपेक्षित विशेषज्ञ साक्ष्य समन कर सके और इसके बाद वह दुर्घटना स्थल पर जाएगा और जांच करेगा ।

19. न्यायिक जांच :—

नियम 17 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट, किसी रेल सेवक और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी हाजिरी वह आवश्यक समझे, समन कर सकेगा और साक्ष्य लेने और जांच पूरी करने के बाद, यदि उसके विचार में न्यायिक जांच

करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा, जिसे वह दुर्घटना के लिए आपराधिक दायित्व के अधीन समझता हो।

20. मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जाँच का परिणाम रेल प्रशासन के प्रधान को संसूचित किया जाना :—

नियम 17 के अधीन की गई हर जांच या अन्वेषण का परिणाम उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने ऐसी जांच या अन्वेषण किया हो, सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान और रेल संरक्षा आयुक्त को संसूचित किया जाएगा ।

21. न्यायिक जांच करने वाले मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए रेल सेवकों को समन करने की प्रक्रिया :—

(1) यदि रेल संचालन के दौरान घटित किसी दुर्घटना की कोई न्यायिक जांच करने के अनुक्रम में ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट सम्बंधित रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की सहायता चाहता हो वह रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की उपस्थिति के लिए एक मांग पत्र मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेलवे बोर्ड को भेजेगा और ऐसा करते समय वह यह भी अधिकथित करेगा कि वह किस प्रकार की सहायता चाहता है और यदि किसी रेल अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है तो न्यायालय में उसकी हाजिरी के लिए रेल प्रशासन के प्रधान को मांग पत्र जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांगपत्र में अपेक्षित सहायता की प्रकृति अधिकथित होगी। रेल पदाधिकारियों को समन करते समय मजिस्ट्रेट, इस बात का ध्यान रखेगा कि रेल सेवकों को, विशेषत: एक ही वर्ग के कर्मचारियों को, एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में समन न किया जाये कि उससे रेल संचालन में असुविधा हो। गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच को अन्तिम रूप से समाप्त करने से पहले दुर्घटना के सम्बन्ध में संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की रिपोर्ट मांग सकेगा।

22. न्यायिक जांच के विनिश्चय की रेल प्रशासन, रेल संरक्षा आयुक्त और राज्य सरकार को संसूचना :—

न्यायिक जांच की समाप्ति पर, मजिस्ट्रेट अपने विनिश्चय की एक प्रति सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को और रेल संरक्षा आयुक्त को भेजेगा और जब तक कि वह किसी मामले में ऐसा करना आवश्यक न समझे, जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार से करेगा।

23. पुलिस अन्वेषण कब न किया जाए—मृत्यु, गम्भीर रूप से उपहत या रेल सम्पत्ति की क्षति पर रिपोर्ट :—

(1) रेल संचालन के दौरान घटित किसी भी दुर्घटना के कारणों का अन्वेषण रेल पुलिस कर सकती है और वह ऐसा तब करेगी जब कभी :

(क) ऐसी दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गंभीर उपहति हुई हो या रेल सम्पत्ति को 25,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या दुर्घटना प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक कार्य या चूक के कारण घटी हो, या

(ख) जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट ने उस नियम के खंड (ग) के अधीन ऐसा करने का निर्देश किया हो ;

परन्तु यह कि जहां दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसमें जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हों या नियम 17 के खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत जब न्यायिक जांच की जा रही है, वहां रेल पुलिस इस नियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगी और जहां कि उन्होंने अपना अन्वेषण पहले ही शुरू कर दिया हो, वहां उसे और नहीं बढ़ाएगी, और अन्वेषण से सम्बन्धित अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को, जो उनके कब्जे में हों, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देंगे, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) रेल पुलिस रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली ऐसी दुर्घटना की, जो उसकी जानकारी में आए, रिपोर्ट जिसमें जनहानि हुई या गंभीर उपहति हुई हो या रेल सम्पति की पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या जो प्रथमदृष्टया किसी आपराधिक कार्य या चूक के कारण घटी हो यथासंभव कम से कम विलम्ब में उससे निकट के स्टेशन मास्टर से या जहां कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेल के उस खंड के भारसाधक रेल कर्मचारी से करेगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो।

24. (1) दुर्घटना का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी की हैसियत :—जब कभी किसी रेल पुलिस द्वारा:

(क) किसी ऐसे मामले का, जिसमें दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गंभीर उपहति हुई हो या रेल सम्पत्ति का पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गंभीर क्षति पहुंची हो, या —

(ख) नियम 17 के खंड (ग) के अधीन दिए निदेश के अनुसरण में, अन्वेषण करना हो, तो :—

अन्वेषण उस क्षेत्र की रेल पुलिस के प्रधान द्वारा किया जाएगा, जहां दुर्घटना घटित हुई है, या यदि वह अधिकारी स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ हो, तो उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारी, साधारणत: उपलब्ध वरिष्ट अधिकारी और जब कभी सम्भव हो, राजपत्रित अधिकारी होगा और किसी भी स्थिति में निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा :

परन्तु :—

(i) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में, यदि एक से अधिक व्यक्ति की जीवन हानि न हुई हो या एक से अधिक व्यक्ति को गंभीर उपहति न हुई हो या रेल सम्पत्ति को पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की क्षति न पहुंची हो या जहां ऐसा संदेह करने का कोई कारण न हो कि कोई रेल सेवक रेल संचालन से संबंधित किसी नियम की उपेक्षा करने का दोषी है, या

(ii) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में यदि जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार का निर्देश करता है, तो अन्वेषण पुलिस स्टेशन के किसी भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जा जा सकता है।

25. पुलिस अन्वेषण की सूचना :—अधिकारी जिसे नियम 24 के अनुसरण में अन्वेषण करना है, तत्काल संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान और मण्डल रेल प्रबन्धक को तार द्वारा अन्वेषण शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा, ताकि यदि संभव हो तो, कार्यवाही को देखने तथा अन्वेषण करने वाले अधिकारी की सहायता के निमित्त किसी रेल पदाधिकारी की हाजिरी की व्यवस्था की जा सके। इसके बाद वह अविलम्ब दुर्घटना स्थल पर जाएगा और वहां अन्वेषण करेगा। फिर भी रेल पदाधिकारी की गैरहाजिरी के कारण अन्वेषण में विलम्ब नहीं किया जाएगा और उसे दुर्घटना घटित होने के बाद यथासंभव शीघ्र किया जाएगा।

26. (1) जिला पुलिस द्वारा सहायता :—ऐसे हर मामले में जिस पर नियम 24 लागू होता है, उस क्षेत्र की रेल पुलिस द्वारा जिला पुलिस को शीघ्र सूचना दी जाएगी, जो यदि ऐसे अपेक्षित हो तो, सभी आवश्यक सहायता देगी और आवश्यकता पड़ने पर, रेल परिसर की सीमा से बाहर अन्वेषण करेगी। लेकिन सीमाओं के भीतर अन्वेषण करने के लिए मुख्यत: उस क्षेत्र की रेल पुलिस ही उत्तरदायी होगी।

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पुलिस अन्वेषण समाप्त होने के बाद मामले को आगे अभियोजन रेलवे पुलिस के हाथ में होगा।

27. पुलिस के अन्वेषण के परिणाम की संसूचना :—पुलिस के हर अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी, संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान या उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी और रेल संरक्षा आयुक्त को दी जाएगी।

28. जिला पुलिस द्वारा रेल पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन करना :—जहां क्षेत्र में कोई भी रेल पुलिस नहीं है वहां नियम 23, 24 और 25 नियम 26 के उपनियम (2) और नियम 27 द्वारा क्षेत्र की रेल पुलिस या उस रेल पुलिस के प्रधान पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन यथास्थिति जिला, पुलिस द्वारा या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

29. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और जांच नियम, 1973 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

[एफ.सं. 96/सेफ्टी (ए.एंड आर.)/42/1]

इन्द्र घोष, कार्यकारी निदेशक सेफ्टी, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 21st December, 1998

G.S.R. 5.—In exercise of the powers conferred by section 122 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Particulars to be given in the notices.—The notices mentioned in section 113 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the Act), shall contain the following particulars, namely:—

(i) kilometerage, or station or both, at which the accident occurred.

(ii) time and date of the accident;

(iii) number and description of the train; or trains;

(iv) nature of the accident;

(v) number of people killed or injured, as far as is known;

(vi) cause of the accident, as for as is known; and

(vii) Probable detention to traffic.

3. Responsibility for sending notices, to whom to be sent and mode thereof:—Whenever any accident, as falls under section 113 of the Act (hereinafter referred to as "Reportable train accident") occurs in the course of working a railway, the station master nearest to the place at which the accident has occurred or, where there is no station master, the railway servant incharge of the section of the railway on which the accident has occurred or any other Station Master incharge of a section of a railway to whom the report

of the accident is made, shall give notice of the accident by telegraph to the Commissioner of Railway Safety, the District Magistrate and the District Superintendent of Police of the district in which the accident has occurred or such other Magistrate or police officer as may be appointed in this behalf by the State Government concerned and by telegraph, telephone or through special messenger or such other quick means as may be available, to the Superintendent of Railway Police and to the officer-in-charge of the police station within the local limits of which the accident has occurred.

Explanation.—For the purpose of this rule, "Reportable Train accident" under section 113 of the Act also include those usually attended with loss of human life (such as accidents to passenger trains involving collisions, derailments, train wrecking, or attempted train wreking, cases of running over obstructions placed on the line, of passengers falling out of trains or of fires in trains), or grievous hurt as defined in the Indian Penal Code (hereinafter referred to as the grievous hurt), or serious damage to railway property of the value exceeding twenty five lakh rupees which have not actually occurred but which by the nature of the accident might reasonably have been expected to occur; and also cases of landslides or of breach by rain or flood which cause the interruption of any important through-line of communication for at least 24 hours.

4. Mode of sending notices to the State Government.—The notice of accidents, required under section 113 of the Act, to be sent without delay by the Railway administration, shall be sent to the State Government—

(a) by telegram in the case of—

(i) accidents deemed, under the Explanation to rule 3, to be serious by reason of loss of human life;

(ii) accidents by reason of which the permanent way is likely to be blocked for more than twenty four hours; and

(iii) train wrecking or attempted train-wrecking; and

(b) by letter in all other cases.

5. Railway servants to report accidents.—Every railway servant shall report, with as little delay as possible every accident occurring in the course of working the railway which may come to his notice and such report shall be made to the nearest station master, or, where there is no station master, to the railway servant in charge of the section of the railway on which the accident has occurred.

6. Station Master or railway servnt in-chrage of the section to report accidents.—The Station Master or the railway servant in-charge of the section, shall report all accidents in accordance with the rules laid down by the railway administration concerned for the reporting of accidents.

7. Railway Administration to report serious accidents.—(1) Whenever a serious accident, as defined in sub-rule 2 of rule 2 the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998, occurs, the railway administration concerned shall, as soon after the accident as possible, by telegraph, supply to the Press such particulars as are mentioned in rule 2 and as are till then available, and by supplementary telegrams if necessary, immediately after further information is available. A copy shall be sent simultaneously by Express telegram to the Railway Board, the Commissioner of Railway Safety of the circle concerned and the Chief Commissioner of Railway Safety. In addition, the Commissioner of Railway Safety shall be informed, telephonically, of any serious accident, by the control of the division in which the accident has occurred.

(2) For the purpose of sub-rule (1), an accident shall be a serious Railway accident where—

(i) accident to a train carrying passengers which is attended with loss of life or with grievous hurt to a passenger or passengers in the train, or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 25,00,000 and any other accident which in the opinion of the Chief Commissioner of Railway Safety or Commissioner of Railway Safety requires the holding of an inquiry by the Commissioner of Railway Safety, shall be deemed to be a serious accident. A workmen's train or a ballast train carrying workmen or cattle special train or a Tower wagon or such other train carrying workmen or cattle special Military special carrying authorised escorts or similar such train shall be treated as a passenger train.

(ii) an accident involving a train carrying passengers leads to loss of life or grievous injury to any Railway Servant irrespective of whether he was travelling in that passenger train or not, it shall come under the purview of inquiry by the Commission of Railway Safety and shall be treated as a 'Serious Railway accident'.

Provided that—

(a) cases of trespassers run over and injured or killed through their own carelessness or of passengers injured or killed through their own carelessness, and

(b) cases involving persons being Railway servant or holding valid passes/tickets or otherwise who are killed or grievously injured while travelling outside the rolling stock of a passenger train such as on foot board or roof or buffer but excluding the inside of vestibules between coaches, or run over at a Level Crossing or elsewhere on the Railway track by a passenger train, and

(c) collision, between a Road Vehicle and a passenger train at a Level Crossing where no passenger or Railway Servant is killed or grievously hurt shall not be treated as a 'Serious Railway Accident' even if those

travelling in the road vehicle are killed or grievously hurt shall not be treated as serious railway accident, unless the Chief Commissioner of Railway Safety or Commissioner of Railway Safety is of the opinion that the accident requires the holding of an inquiry by the Commissioner of Railway Safety.

8. Facility for reaching the site of the accident.—Whenever any accident has occurred in the course of working a railway, the Head of the Railway Administration concerned shall give all reasonable aid to the District Magistrate or the Magistrate appointed or deputed under rule 17 or to the Commission of inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or any other authority to whom all or any of the provisions of the said Act have been made applicable, and to the Commissioner of Railway Safety, medical officers, the police and other concerned to enable them to reach the scene of the accident promptly, and shall also assist those authorities in making inquiries and in obtaining evidence as to the cause of the accident.

9. Medical aid to the persons grievously hurt in accidents.—Whenever an accident, occurring in the course of working a railway, has been attended with grievous hurt, it shall be the duty of the Head of the Railway Administration concerned to afford medical aid to the sufferers, and to see that they are properly and carefully attended to till they are removed to their homes or handed over to the care of their relatives or friends. In any such case, or in any case in which any loss of human life or grievous hurt has occurred, the nearest available local medical officer shall be sent for if such medical officer is nearer at hand than the railway medical officer.

10. Arranging attendance of railway servants at the place of judicial inquiries or inquiries conducted by Commissioner of Railway Safety or a Magistrate—When an inquiry under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998, or under rule 17 of these rules, or a judicial inquiry is being made, the Head of the Railway Administration concerned shall arrange for the attendance, as long as may be necessary, at the place of inquiry, of all railway servants whose evidence is likely to be required at such inquiry; and if the inquiry is to be held by the Commissioner of Railway Safety under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998 the Head of the Railway Administration concerned shall,—

(a) cause notice of the date, hour and place at which the inquiry will begin to be given to the officers mentioned in clauses (a) and (c) of sub-rule (1) of rule 14, and

(b) arrange for the attendance of the divisional officers, railway servants required as witness at the Inquiry.

11. Action to be taken by Head of the Railway Administration on receipt of the report of Commissioner of Railway Safety.—Whenever the Head of the Railway Administration concerned receives a copy of the report of the Commissioner of Railway Safety under rule 4 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998, he shall at once acknowledge its receipt, and—

(a) submit his remarks, on the views expressed in the Report, to the Chief Commissioner of Railway Safety with copy to the Commissioner of Railway Safety immediately on receipt of the Report by the Railway Administration and if he is not able to submit his remarks immediately he shall in his acknowledgement of the report indicate his intention to submit his remarks later as early as possible;

(b) if the Head of the Railway Administration concerned agrees with the views expressed in the Report and considers the prosecution of any person or persons desirable, he shall immediately forward a statement of such persons to the District Magistrate of the district in which the accident occurred, or to such other officer as the State Government may appoint in this behalf and to the concerned police authorities.

(c) in case the District Magistrate or Police authorities require copies of the Report, it may be sent to them, and the confidentiality of the report should be made clear to the District Police Authorities, and the Police authorities shall, as soon as possible, intimate the Head of the Railway Administration concerned about their decision regarding launching any prosecution.

12. Head of the Railway Administration to offer remarks on the suggestions made in the report of Commissioner of Railway Safety—Whenever the report of the Commissioner of Railway Safety points to the necessity for or suggests a change in any of the rules or in the system of working of the railway, the Head of the Railway Administration concerned shall, intimate the action which has been taken, or which it proposes to take, to prevent a recurrence of similar accidents, to the Chief Commissioner of Railway Safety with copy to the Commissioner of Railway Safety.

13. Joint Inquiry when dispensed with—(1) Whenever a Reportable train accident, such as is described in section 113 of the Act has occurred in the course of working a railway, the Head of the Railway Administration concerned shall cause an inquiry to be promptly made by a Committee of railway officers (to be called a "joint inquiry") for a thorough investigation of the causes which led to the accident.

Provided that such an inquiry may be dispensed with—

(a) if any inquiry is to be held by the Commissioner of Railway Safety under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998, or a Commission appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) or any other authority appointed by the Central Government to which all or any of the provisions of the said Commission of inquiry Act have been made applicable under rule 2 of the said

Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, or

(b) if there is no reasonable doubt as to the cause of the accident; or

(c) if any department of the railway administration concerned intimates that it accepts all responsibility in the matter.

(2) Where such inquiry is dispensed with under clause (b) or clause (c) of the proviso to sub-rule (1), it shall be the duty of the Head of the department of the Railway Administration responsible for the accident to make such inquiry (to be called a "departmental inquiry") as he may consider necessary and, if his staff or the system or working is at fault, to adopt or suggest such measures as he may consider necessary for preventing a recurrence of similar accidents.

14. (1) Notice of joint inquiry—Whenever a joint inquiry is to be made, the Head of the Railway Administration concerned shall cause notice of the date and hour at which the inquiry will commence, to be given to the following officers, namely:—

(a) the District Magistrate of the district in which the accident occurred, or such other officer as the State Government may appoint in this behalf, the Superintendent of the Railway Police and the District Superintendent of Police;

(b) the Commissioner of Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred; and

(c) the Head of the Railway Police having jurisdiction at the place where the accident occurred or, if there are no Railway Police, the officer-in-charge of the police station having jurisdiction at such place.

(2) The date and hour at which the inquiry will commence shall be fixed so as to give the officers mentioned in sub-rule (1) sufficient time to reach the place where the inquiry is to be held.

(3) When a joint inquiry is held into an accident after receipt of information about the inability of the Commissioner of Railway Safety to hold an inquiry, under sub-rule (5) of rule 2 of the Statutory Investigation in Railway Accidents Rules, 1998, the Head of the Railway Administration concerned shall issue a Press Note in this behalf inviting the public to tender evidence at the inquiry or send information relating to the accident to the Joint Inquiry Committee at an address specified in the Press Note.

15. Report of joint inquiry or departmental inquiry to be sent to the Head of the Railway Administration and the action to be taken thereon.—(1) As soon as any joint inquiry or departmental inquiry has been completed, the President of the Committee of railway officers or the Head of the department, as the case may be, shall send to the Head of the Railway Administration concerned a report containing inter alia—

(a) brief description of the accident;

(b) description of the locality of the accident;

(c) detailed statement of the evidence taken;

(d) the conclusions arrived at together with a note of dissent, if any;

(e) reasons for conclusions arrived at;

(f) the nature and extent of the damage done;

(g) when necessary, a sketch illustrative of the accident;

(h) the number of railway servants killed of injured;

(i) the number of passengers killed or injured;

(j) an appendix containing extracts of the rules violated by the staff responsible for the accidents.

(2) The Head of the Railway Administration concerned shall forward, with his remarks as to the action that is intended to be taken in regard to the staff responsible for the accident or for the revision of the rules or the system of working, a copy of the report referred to in sub-rule (1)—

(a) to the Commissioner or Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred;

(b) if no inquiry or investigation has been made under rule 17 or if a joint or departmental inquiry has been held, first, to the District Magistrate or the officer appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 14, and

(c) if any judicial inquiry is being made, to the magistrate making such inquiry.

(3) The copy of the report aforesaid shall be accompanied—

(a) in the case referred to in clause (b) of sub-rule (2), by a statement of the persons involved in the accident whose prosecution the Head of the Railway Administration concerned considers to be desirable;

(b) in the case referred to in clause (c) of sub-rule (2), by a copy of the evidence taken at the inquiry.

16. Reports of inquiries into accidents not covered by section 113 to be forwarded to Commissioner of Railway Safety—(1) Whenever any accident, not of the nature specified in section 113 of the Act, such as averted collisions, breaches of block rules or other technical accidents, occurs in the course of working a railway, the railway administration concerned may cause an inquiry, either a joint inquiry or a departmental inquiry, to be held into the accident.

(2) Where an inquiry is held as provided under sub-rule (1), the Head of the Railway Administration concerned shall forward a copy of the report of the inquiry to the Commissioner of Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred.

17. Magisterial inquiry—Whenever an accident, such as is described in section 113 of the Act, has occurred in the course of working a railway, the

District Magistrate or any other Magistrate who may be appointed in this behalf by the State Government, may either—

(a) himself make an inquiry into the causes which led to the accident; or

(b) depute a subordinate Magistrate, who if possible, should be a Magistrate of the first class, to make such an inquiry; or

(c) direct investigation into the causes which led to the accident, to be made by the police.

Provided that where, having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into it under the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquiry into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, a Magistrate or a police officer shall not make his inquiry or investigation under this rule and, where he has already commenced the inquiry or investigation, shall not proceed further with it; and such Magistrate or police officer shall hand over the evidence, records or other documents in his possession relating to the inquiry or investigation to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf.

18. Notice of Magisterial inquiry.—Whenever it is decided to make an inquiry under clause (a) or clause (b) of rule 17, the District Magistrate or other Magistrate appointed as aforesaid or the Magistrate deputed under clause (b) of rule 17 as the case may be, shall at once inform the Head of the Railway Administration concerned and the Divisional Railway Manager by telegraph, of the date and hour at which the inquiry will commence so as to enable the railway administration to summon the requisite expert evideince, and thereafter, he shall proceed to the scene of the accident and conduct the inquiry.

19. Judicial Inquiry.—A magistrate, making an inquiry under rule 17, may summon any railway servant, and any other person whose presence he may think necessary, and after taking the evidence and completing the inquiry shall, if he considers that there are sufficient grounds for holding a judicial inquiry, take the requisite steps for bringing to trial any person whom he may consider to be criminally liable for the accident.

20. The result of magisterial inquiry to be communicated to the Head of the Railway Administration.—The result of every inquiry or investigation made under rule 17 shall be communicated by the Magistrate who has held such inquiry or investigation, to the Head of the Railway Administration concerned and to the Commissioner of Railway Safety.

21. Procedure for summoning railway servants to assist the Magistrate holding judicial inquiry.—(1) If in the course of any judicial inquiry into an accident occurring in the course of working a railway, the Magistrate holding such inquiry desires the assistance of the Commissioner of Railway Safety Head of the Railway Administration concerned, he shall issue a requisition to the Chief Commissioner of Railway Safety or the Railway Board, for the presence of the Commissioner of Railway Safety or the Head of the Railway Administration, stating at the same time the nature of the assistance required, and if the assistance of any Railway Officer is required the Magistrate shall issue a requisition to the Head of the Railway Administration for his attendance in the Court.

(2) The requisition referred to in sub-section (1) shall state the nature of the assistance required. In summoning railway officials, the Magistrate shall take care not to summon on the same day so large a number of the employees, especially of one class, as to cause inconvenience to the working of the railway. In the case of serious accidents the Magistrate may obtain reports from the Commissioner of Railway Safety and the Head of the Railway Administration concerned in regard to the accident, before finally concluding the judicial inquiry.

22. Communication of the decision of judicial inquiry to the Railway Administration, Commissioner of Railway Safety and the State Government.—On the conclusion of the judicial inquiry the Magistrate shall send a copy of his decision to the Head of the Railway Administration concerned and to the Commissioner of Railway Safety, and shall, unless in any case he thinks it unnecessary to do so, report the result of the inquiry to the State Government.

23. Police investigation—when to be dispensed with report on loss of life, grievous hurt, or damage to Railway property—(1) The Railway Police may make an investigation into the causes which led to any accident occurring in the course of working a railway and shall do so whenever—

(a) any such accident is attended with loss of human life or with grievous hurt, or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 25,00,000 or has prima facie been due to any criminal act or omission; or

(b) the District Magistrate or the Magistrate appointed under rule 17 has given a direction under clause (c) of that rule :

Provided that where, having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of inquiry to inquire into it under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, or where a magisterial inquiry is being held under rule clause (a) or clause (b) of rule 17, the Railway Police shall not make an investigation under this rule, and, where they have already commenced their investigation, shall not proceed further with it; and shall hand over the records or other documents in their possession relating to the investigation to such authority as may be

specified by the Central Government in this behalf.

(2) The Railway Police shall report, with as little delay as possible to the nearest station master, or where there is no station master, to the railway servant in-charge of the section of the railway, on which the accident has occurred, every accident which may come to their notice occurring in the course of working a railway attended with loss of human life, or with grievous hurt or with serious damage to railway property of the value exceeding twenty five lakh rupees or which has prima facie been due to any criminal act or omission.

24. (1) Status of Police officer investigating the accident—Whenever an investigation is to be made by the Railway Police—

(a) in a case in which an accident is attended with loss of human life or with grievous hurt, or with serious damage to railway property of the value exceeding twenty five lakh rupees; or

(b) in pursuance of a direction given under clause (c) of rule 17,

the investigation shall be conducted by the Head of the Railway Police of the area in which the accident has occurred, or if that officer is unable to conduct the investigation himself, by an officer to be deputed by him.

(2) The officer deputed under sub-rule (1) shall ordinarily be the senior officer available, and shall whenever possible be a Gazetted Officer, and shall in no case be of rank lower than that of an Inspector :

Provided that the investigation may be carried out by an office-in-charge of a police station :—

(i) in a case such as in referred to in clause (a) of sub-rule (1), if no loss of life or grievous hurt has been caused to more persons than one or no damage to railway property of value exceeding twenty five lakh rupees has been caused or there is no reason to suspect that any servant of the railway has been guilty of neglect of any rule relating to the working of the railway; or

(ii) in the case referred to in clause (b) of sub-rule (1), if the District Magistrate so directs.

25. Notice of police investigation.—The officer who is to conduct an investigation in pursuance of rule 24 shall at once inform the Head of the Railway Administration concerned and the Divisional Railway Manager by telegraph of the date and hour at which the investigation will commence so that, if possible, the presence of a railway official may be arranged for to watch the proceedings and to aid the officer making the investigation, and thereafter, he shall proceed without delay to the scene of the accident and conduct the investigation there; so, however, that the absence of a railway official shall not, be allowed to delay the investigation which shall be conducted as soon as possible after the accident has taken place.

26. (1) Assistance by the District Police.—In every case to which rule 24 applies, immediate information shall be given by the Railway Police of the area to the District Police, who, if so required, shall afford all necessary assistance and shall, if occasion arises, carry the investigation beyond the limits of the railway premises. But the Railway Police of the area shall primarily be responsible for carrying on the investigation within such limits.

(2) Subject to the provisions of these rules, the further prosecution of the case, on the conclusion of the police investigation, shall rest with the Railway Police.

27. Communication of the result of police investigation.—The result of every police investigation shall be reported at once to the District Magistrate or other officer appointed in this behalf by the State Government, to the Head of the Railway Administration concerned or other officer appointed by him, and to the Commissioner of Railway Safety.

28. District Police to discharge duties of Railway Police.—Where there is no Railway Police in the area, the duties imposed by rules 23, 24 and 25 sub-rule (2) of rule 26, and rule 27 on the Railway Police of the area, or on the Head of such Railway Police, shall be discharged by the District Police or by the District Superintendent of Police, as the case may be.

29. Repeal and Saving.—(1) The Railway (Notices of and inquiries into Accidents) Rules, 1973, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules hereby repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[F. No. 96/Safety (ACR) 42/11

INDRA GHOSH, Executive Director, (Safety), Railway Board.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 6 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (लेखा अधिकारी) भर्ती 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं, आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित, विवाह किया किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
लेखा अधिकारी	1* (एक) (1998). *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	7450-225-11,500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता है :- (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण । (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव । 2. बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय सहायक लेखा अधिकारी के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं. ए.-11018/9/95-आर.आर.एस.ई.(पी.जी.)]

आर. पी. एस. मल्होत्रा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th December, 1998

G.S.R. 6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry (Accounts Officer and Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 1974, inso far as they relate to the post of Accounts Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage, is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority
1	2	3	4	5
Accounts Officer	*1(one) (1998)	General Central Service Group 'B', Gazetted, Ministerial	Rs. 7450-225-11500	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qulifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Promotion/deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion/deputation; I. Officers under the Central Government:— (A)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent; or (iii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; and (B) possessing any one of the following qualifications:— (i) a pass in the subordinate accounts service or equivalent examination conducted by any of the organised accounts departments of the Central Government. (ii) successful completion of training in cash and accounts work in the Institute of Secretarial Training and Management or equivalent and possessing two years' experience in cash, accounts and budget work. II. The Departmental Assistant Accounts Officer with five years' regular service in the grade will also be considered along with the outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F.No.A-11018/9/95-RR/ME(PG)]

R.L. MALHOTRA, Desk Officer

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 7 :—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 (1988 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1988 में,:—

(क) नियम 3 के उपनियम (3ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3ख) किसी क्षेत्र में उद्योगों, संक्रियाओं, प्रसंस्करणों, मोटर-गाड़ियों और घरेलू स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण का संयुक्त प्रभाव परिवेशी वायु में उस सुसंगत सान्द्रण से अधिक अनुज्ञेय नहीं होगा जो अनुसूची 7 के स्तम्भ (3) से स्तम्भ 5) में प्रत्येक प्रदूषक के सामने यथा विनिर्दिष्ट है;"

(ख) अनुसूची 1 में :—

(i) ईंटिका भट्टों के लिए उत्सर्जन मानक से संबंधित क्रम संख्या 74 के सामने विद्यमान पैरा IH के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"iii 30 जून, 1999 तक विद्यमान चल-चिमनी वृत्त खाई भट्टियों का त्याग कर दिया जाएगा और कोई नई चल-चिमनी भट्टी लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी";

(ii) क्रम संख्या 80 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् क्रम संख्यां क और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"81. बैटरी विनिर्माण करने के लिए उद्योग

(i) सीसा अम्ल बैटरी विनिर्माण करने वाले उद्योग: उत्सर्जन मानक

स्रोत	प्रदूषक	मानक सान्द्रण आधारित (मिली ग्राम/एनएम 3)
1	2	3
ग्रिड कास्टिंग	सीसा	10
	कणिकीय पदार्थ	25
आक्साइड विनिर्माण	सीसा	10
	कणिकीय पदार्थ	25
पेस्ट मिश्रण	सीसा	10
	कणिकीय पदार्थ	25
समुच्चयन	सीसा	10
	कणिकीय पदार्थ	25
पीवीसी सेक्शन	कणिकीय पदार्थ	150

— सुसंगत मानकों के अनुपालना के लिए ऊपर वर्णित स्रोतों से सभी उत्सर्जनों को हूड और पंखा से संबद्ध चिमनी के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा, इसके अतिरिक्त नियंत्रण उपस्कर जैसे-बैक फिल्टर वेनटूरी मार्जक के संस्थापन की भी सिफारिश की जाती है।

— चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 30 मी. होगी।

द्रव बहिस्राव विसर्जन मानक

प्रदूषक	सान्द्रण आधारित मानक
पी एच	6.5-8.5
निलंबित पिण्ड	50 मिलीग्राम/ली
सीसा	0.1 मिलीग्राम/ली

(ii) शुष्क सेल विनिर्माण करने वाले उद्योग, उत्सर्जन मानक

प्रदूषक	मानक सान्द्रण आधारित (मिलीग्राम/एनएम 3)
कणिकीय पदार्थ	50
एमएन के रूप में मैगनीज	5

सुसंगत मानकों के अनुपालना के लिए ऊपर वर्णित स्रोतों से सभी उत्सर्जनों को हुड और पंखा से संबद्ध चिमनी के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा इसके अतिरिक्त नियंत्रण उपस्कर जैसे—बैक फिल्टर/वेनटूरी मार्जक के संस्थापन की भी सिफारिश की जाती है।

चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 30 मी. होगी।

बहिस्राव मानक

प्रदूषक	सान्द्रण आधारित मानक
पी एच	6.5—8.5
कुल निलंबित पिण्ड	100 मिलीग्राम/ली.
एमएन के रूप में मेंगनीज	2 मिलीग्राम/ली.
एच जी के रूप में पारा	0.02 मिलीग्राम/ली.
जेड एन के रूप में जस्ता	5 मिलीग्राम/ली.

(iii) सेकेन्डरी सीसा प्रगालक

प्रदूषक	सान्द्रण आधारित मानक
पी.बी.के रूप में सीसा	10 मिलीग्राम/एनएम 3
कणिकीय पदार्थ	50 मिलीग्राम/एनएम 3
चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई	30 मी.

82. गैस/नैफ्था-आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय मानक

(i) एन. ओ. एक्स के उत्सर्जन के लिए सीमा

(क) विद्यमान एककों के लिए —15 प्रतिशत अधिक आक्सीजन पर 150 पी० पी० एम (वी/वी)

(ख) नए एककों के लिए 1-6-1999 से

गैस टरबाईन का कुल उत्पादन	चिमनी एन ओ एक्स उत्सर्जन के लिए सीमा (15 प्रतिशत से अधिक आक्सीजन पर (वी/वी)
(क) 400 मे.वा. और ऊपर	(i) प्राकृतिक गैस दहन एककों के लिए 50 पी. पी. एम (ii) नेफ्था दहन एककों के लिए 100 पी. पी. एम
(ख) 400 मे.वा. से कम किन्तु 100 मे.वा. तक	(i) प्राकृतिक गैस दहन एककों के लिए 75 पी पी एम (ii) नैफ्था दहन एककों के लिए 100 पी पी एम
(ग) 100 मे.वा. से कम	ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस या नैफ्था दहन एककों के लिए 100 पी. पी. एम
(घ) रूढ़ बॉयलर में गैस दहन एककों के लिए	100 पी. पी. एम

(ii) जहां कि.ग्रा. /घंटे में एस ओ2 की उत्सर्जन दर क्यू है सूत्र एच = 14 क्यू 0.3 का उपयोग करते हुए चिमनी की ऊंचाई एच. एम. में संगणित की जाएगी। जो न्यूनतम 30 मीटर होगी ।

(iii) द्रव अपशिष्ट विसर्जन सीमा

पैरामीटर	सान्द्रण की अधिकतम सीमा मि.ग्रा./एल (सिवाय पी. एच. और ताप के)
पी.एच	6.5—8.5
ताप	जो अन्य तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए लागू हों ।
निःशुल्क उपलब्ध क्लोरिन	0.5
निलम्बित पिंड	100.0
तेल और ग्रीज	20.0
तांबा (कुल)	1.0
लोहा (कुल)	1.0
जस्ता	1.0
क्रोमियम (कुल)	0.2
फॉस्फेट	5.0

83. स्थिर डीजल जेनेरेटर (डी जी) सेट्स से शोर प्रदूषण के नियंत्रण सिद्धांत के लिए मानक/मार्गदर्शक सिद्धांत

(क) डी. जी. सेट्स (15-500 के वी ए) के लिए शोर मानक

जहां किसी डी. जी. सेट की नामीय शक्ति संनिर्धारण के वी. ए है, विनिर्माण प्रक्रम पर किसी डी जी सेट की कुल ध्वनि शक्ति, स्तर. एल डब्लयू 94 + 10 एन. ओ.जी. 10 (केवीए), डी वी (ए) होगी ।

यह स्तर 2007 तक प्रत्येक पांच वर्ष में 5 डीवी (ए) गिरेगा, उदाहरणार्थ 2002 में और फिर 2007 में।

(ख) स्थिर डीजी सेट्स (5 केवी ए और ऊपर) के लिए आशापक ध्वनिक बाड़ा/ध्वनिक उपचार कक्ष

डीजी सेट के शोर को ध्वनिक बाड़ा की व्यवस्था द्वारा या ध्वनि रूप से कक्ष-अभिक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।

ध्वनिक बाड़ा/ध्वनिक उपचार कक्ष न्यूनतम 25 डीवी(ए) निवेशन हानि के लिए या परिवेशी शोर मानकों को पूरा करने के लिए जो भी अधिक हो, अभिकल्पित होगा (यदि वास्तविक परिवेशी शोर अधिक है तो ध्वनिक बाड़ा/ध्वनिक उपचार के कार्य की जांच पड़ताल करना संभव नहीं हो सकेगा । ऐसी परिस्थिति में अधिमानत : रात्रि के समय में वास्तविक परिवेशी शोर स्तर तक शोर कम करने के कार्य की जांच पड़ताल की जा सकेगी)। निवेशन हानि के लिए माप ध्वनिक बाड़ा/कक्ष से 0.5 मीटर पर भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर की जाएगी और फिर औसत निकाली जाएगी।

डी जी सेट में न्यूनतम 25 डी बी (ए) की निवेशन हानि वाली उचित निष्कासक मफलर भी लगा होगा ।

(ग) डीजी सेट्स (5 के वी ए और ऊपर) के विनिर्माताओं/उपयोक्ताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

01. विनिर्माता, उपयोक्ता को 25 डी बी (ए) निवेशन हानि का मानक ध्वनिक बाड़ा और 25 डी बी (ए) की निवेशन हानि वाला उपयुक्त निष्कासक मफलर की प्रस्थापना करेगा ।

02. उपयोक्ता उचित स्थान निश्चित कर और नियंत्रण उपायों के द्वारा उसके परिसर के बाहर उस शोर को, जो डी जी सेट के कारण होता है के स्तरों को परिवेशी शोर अपेक्षाओं के भीतर नीचे लाने का प्रयास करेगा।

03. विनिर्माता (क) के अन्तर्गत विहित मानकों के अनुसार, शोर करने वाले डी जी सेटस के शोर शक्ति स्तरों को प्रस्तुत करेगा।

04. उपयोक्ता के समाधान के लिए किसी डी जी सेट का कुल ध्वनि शक्ति स्तर, (क) के अधीन यथा विहित विनिर्माण प्रक्रम पर डी जी सेट के कुल ध्वनि शक्ति स्तर के 2 डी बी (ए) के भीतर होगा।

05. किसी डी जी के संस्थापन में डी जी सेट विनिर्माता की सिफारिशों की कड़ाई से पालना की जाएगी।

06. डी जी सेट के लिए उचित विनध्वंसी और निवारक अनुरक्षण प्रक्रिया निश्चित होगी और जिसका डी जी सेट विनिर्माता के परामर्श से अनुरक्षण किया जाएगा जो उपयोग से होने वाले क्षय से डी जी सेट से शोर स्तरों को रोकने में सहायता करेगा।

84. तापीय विद्युत संयंत्र से संघारित्र शीतलन जल के विसर्जन के लिए ताप सीमा का 1 जून, 1999 के पश्चात् स्थापित नए तापीय विद्युत संयंत्र।

ऐसे नए तापीय विद्युत संयंत्र जो नदियों/झीलों/जलाशयों से जल का उपयोग करेंगे। वे अवस्थान और क्षमता का विचार किए बिना शीतलन टावर लगाएंगे। ऐसे तापीय विद्युत संयंत्र जो शीतलन प्रयोजनों के लिए समुद्र के जल का उपयोग करेंगे उनको निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।

क. समुद्र जल का उपयोग करने वाली तटीय क्षेत्रों में नई परियोजनाएं।

समुद्र के जल का उपयोग करने वाली तापीय विद्युत संयंत्र अंतिम विसर्जन बिन्दु पर जल के ताप को घटाने के लिए उपयुक्त पद्धति अपनाएंगे ताकि प्राप्त होने वाले जल के ताप में परिणाम स्वरूप वृद्धि प्राप्त करने वाले जल निकायों का परिवेशी ताप 7° से. से अधिक और ऊपर हो सके।

ग. विद्यमान विद्युत संयंत्र।

संघारित्र के अन्तर्गम से निर्गम तक संघारित्र शीतल जल के ताप में उत्थान 10° से० से अधिक नहीं होगा।

घ. विसर्जन बिन्दु के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त:

1. विसर्जन बिन्दु तापीय विसर्जन के उचित विक्षेपण के लिए अधिमानत: जल निकाय के अधस्तल पर धारा के मध्य पर स्थित होगा।

2. समुंद्र में शीतलन जल के विसर्जन की दशा में विहित मानकों को प्राप्त करने के लिए उचित समुद्री दहाना अभिकल्पित किया जाएगा। विसर्जन बिन्दु का चयन संबद्ध राज्य प्राधिकरणों/एन आई ओ के परामर्श से किया जा सकेगा।

3. कोई भी शीतलन जल विसर्जन एस्चुरीज में या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे मैंग्रोवस, कोरल रीफ्स/अंडजनन और एक्वाटिक फ्लोरा और फोना के प्रजनन स्थल के निकट अनुज्ञात नहीं होगा।

85. कोयला धोवनशाला के लिए पर्यावरणीय मानक

1. आशलोप उत्सर्जन मानक

अधोमुखी और प्रतिपवन पवन दिशा में कोयला संदलन संयंत्र के बाड़ा से 25 और 30 मीटर के बीच के परिणाम के डेल्टा (△) के निलंबित कणिकीय पदार्थ के मान में अन्तर 160 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होगा। माप की पद्धति उच्च प्रबलता प्रतिचयन होगी और औसत प्रवाह दर, उर्ध्वगामी पवन अनुज्ञात माप की पद्धति का उपयोग करते हुए प्रति मिनट 1.1 एम 3 से कम नहीं होगी।

2. बहिर्माप विसर्जन मानक

— कोयला धोवन शालाएं ऐसे निकट सर्किट संक्रिया रखेंगी जिसका बहिस्राव उत्सर्जन शून्य हो।

— यदि निकाय की कालिक सफाई, भारी वर्षा इत्यादि जैसे किन्हीं वास्तविक समस्याओं के कारण से बहिस्राव का सीवर/भूमि/जलधारा में विसर्जन करना आवश्यक हो जाता है तब बहिस्राव कोयला धोवन-शाला के अंतिम निकास पर निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा।

क्र.स.	पैरामीटर	सीमाएं
1.	पीएच	5.5—9.0
2.	कुल निलंबित पिण्ड	100 मिग्रा./एल
3.	तेल और ग्रीज	10 मिलो०/एल
4.	जैव रासायनिक आक्सीजन डिमांड (27 से. पर 3 दिन)	30 मिग्रा./एल
5.	रासायनिक आक्सीजन डिमांड	250 मिग्रा./एल
6.	फेनोलिक्स	1.0 मिग्रा०/एल

3. ध्वनि स्तर मानक

— परिचालन/कार्यकरण जोन-8 घंटे उन्मुक्ति के लिए 85 डी बी (ए) एल ई क्यू से अनधिक

— ध्वनि को बाबत परिवेशी वायु क्वालिटी मानक जो पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधिसूचित किए गए हैं उनका अनुपालन कोयला धोवन-शाला की सीमा रेखा पर किया जाएगा।

4. कोयला धोवनशाला के लिए कार्यान्वयन संहिता।

— सभी महत्वपूर्ण कोयला अन्तरण केन्द्र जैसे वाहक, भराई/उतराई वाले स्थल आदि पर जल या रसायन मिश्रित जल का स्प्रे किया जाएगा। जहां तक संभव हो वाहक, अन्तरण केन्द्रों आदि पर बाड़ों का प्रबंध किया जाएगा।

— कोयला धोवनशाला के कोल्हुओं/प्रेषणी चक्कियों के लिए ऐसे बाड़ों का प्रबंध होगा जो उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण अध्युपाय से युक्त होंगे और 150 मिग्रा./एन एम 3 के कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन मानक के अनुरूप 30 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई की चिमनी से होकर अंतिम रूप से उत्सर्जन किया जाएगा या उनमें यथोचित जल छिड़काव के लिए प्रबन्ध किया जाएगा।

— परिष्कृत एटोमाइजर नोजल व्यवस्था के उपयोग द्वारा कोयला के ढेरों पर तथा कोल्हुओं/प्रेषणी चक्कियों कारकों के इर्द गिर्द की भूमि जल छिड़काव का प्रबंध किया जाएगा ।

— कोयला धोवनशाला का अन्दर और इर्द गिर्द का क्षेत्र अलकतरा और बालू मिला हुआ मशाला का या कंक्रीट का पक्का होगा ।

— कोयला धोवनशाला में जल की खपत कोयला के 1.5 घन मीटर प्रति टन से अधिक नहीं होगी ।

— कोयला धोवनशाला की अपशिष्ट जल उपचार पद्धति की तालाब व्यवस्था की सामर्थ्यता 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

— सड़क की बगल के साथ-साथ कोयला उठाई धराई संयंत्र, निवासीय प्रक्षेत्र, कार्यालय भवन और कोयला धोवनशाला की सीमा रेखा के चारों तरफ हरित पट्टी विकसित की जाएगी ।

— भंडारण बंकर, होपर शटों में रबड़ डेक और अपकेन्द्री शूटों में उचित रबड़ अस्तरों का उपबंध किया जाएगा ।

— कोयला धोवनशाला क्षेत्र में गाड़ियों की गतिविधि को यातायात की भीड़ से बचाने के लिए प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाएगा । उच्च दाब के होर्न का निषेध किया जाएगा । कोयला धोवनशाला में चलने वाले भारी ड्यूटी यान से धुआं उत्सर्जन मोटर यान नियम 1889, के अधीन विहित मानकों के अनुरूप होगा ।

86. तटीय जल समुद्री वहाना के लिए जल क्वालिटी मानक

किसी तटीय खंड में समुद्री जल का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है । उपयोगों और क्रिया कलापों के प्रकार पर निर्भर करते हुए जल क्वालिटी की कसौटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसकी उपयुक्तता अवधारित करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दी गई है । विभिन्न प्रकार के उपयोगों में एक उपयोग यह भी है जो जल के उच्चतर स्तर की क्वालिटी/शुद्धता की मांग करता है और उस तटीय खंड के विस्तार में उसे "अभिहित सर्वोत्तम उपयोग" के रूप में जाना जाता है । इस पर आधारित निम्नलिखित पांच अभिहित सर्वोत्तम उपयोगों के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी की कसौटी विनिर्दिष्ट की गई है :—

वर्ग	अभिहित सर्वोत्तम उपयोग
एस डब्ल्यू-I (सारणी 1.1 देखें)	नवण क्यारी, जलीय कवच प्राणी, मेरीकल्चर और पारिस्थितक रूप से संवेदनशील जोन ।
एस डब्ल्यू-II (सारणी 1.2 देखें)	स्नान, संविदा-क्रीड़ा जल खेल-कूद और वाणिज्यिक मत्स्य ।
एस डब्ल्यू III (सारणी 1.3)	औद्योगिक शीतलन, आमोद-प्रमोद (गैर-संविदा) और सौंदर्य संबंधी बन्दरगाह
एस डब्ल्यू—IV (सारणी 1.4 देखें)	
एस डब्ल्यू—V (सारणी 1.5 देखें)	नौपरिवहन, और नियंत्रित अपशिष्ट व्ययन

भिन्न-भिन्न अभिहित सर्वोत्तम उपयोगों के लिए विभिन्न पैरामीटरों के लिए मूलाधार/टिप्पणियों के साथ मानक सारणी 1.1 से 1.5 में दिए गए हैं।

सारणी 1.1

वर्ग एस. डब्ल्यू.—I जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

(नवण क्यारियों, जलीय कवच प्राणी, मैरीकल्चर और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जोन के लिए)

क्रम सं.	पैरामीटर	स्तरमान	मूलाधार/टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	पी. एच रेंज	6.5—8.5	जलीय जीवन के प्रजनन के लिए साधारण व्यापक रेंज, सहायक जो दिया गया है। मूल्य अधिकांश मुद्दा जल पर निर्भर है।
2.	घुला हुआ आक्सीजन	5.0 मि.ग्रा./एल या 60 प्रतिशत संतृप्ति मान, इसमें से जो भी उच्चतर हो	जलीय जीवन के प्रजनन के लिए वर्ष के किसी भी समय में 3.5 मि.ग्रा./एल से अल्पतर।

1	2	3	4
3.	रंग और गंध	कोई दृश्यमान रंग या अप्रिय गंध नहीं	मांस मछली के साल्ट क्रिस्टल और दृश्यमान रंगत उत्पन्न करने वाले रासायनिक सम्मिश्रणों जैसे क्रियोसोल, फीनाल, नेप्था, पिरिडीन, बैन्जीन, टॉलूईन इत्यादि द्वारा विशेष रूप से कारित।
4.	प्लवमान पदार्थ	उपयोग के प्रयोजन के लिए घृणा-जनक या हानिकारक बिल्कुल नहीं।	पृष्ठ सक्रियक 1.0 मि.ग्रा./एल की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और सांद्रण कोई दृश्य रूप पारित न करता हो।
5.	निक्षेपित पिंड	मल या औद्योगिक अपशिष्ट उद्गम से कोई भी नहीं।	बैठ जाने वाले अकिम पदार्थ ऐसी सांद्रण में नहीं है जो इस वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से किसी नियत उपयोग का ह्रास कर सके।
6.	तेल और ग्रीज (जिसके अंतर्गत पैट्रोलियम उत्पाद भी है।	0.1 मि.ग्रा./एल	सांद्रण के रूप में 0.1 मि.ग्रा./एल से अधिक न हो इसलिए कि उनका प्रभाव मछली, अण्डे और लार्वा पर हो।
7.	भारी धातु		मान निम्नलिखित पर निर्भर करेगा :
	पारा (एच जी के रूप में)	0.01 मि.ग्रा./एल	(i) लवण, मछली और जलीय कवच प्राणी में सांद्रण।
	सीसा (पी बी के रूप में)	0.01 मि.ग्रा./एल	(ii) प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के उपभोग का औसत।
	कैडमियम (सी डी के रूप में)	0.01 मि.ग्रा./एल	(iii) न्यूनतम व्यसन पर जो पारिणामिक रोगों के लक्षणों को उत्प्रेरित करता हो।

टिप्पण : एस डब्ल्यू–1 का सुरक्षित और परिसंकटमय रसायनों जैसे नाशक जीव मार, भारी धातु और रेडियो न्यूक्लाइड सांद्रण से अपेक्षाकृत मुक्त होना वांछनीय है। इनके स्वास्थ्य और जलीय जीवन पर संयुक्त (साइनरजैस्टिक या इंटागोनिस्टिक) प्रभाव अभी तक स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। इन रसायनों का जैव-संचयन, आवर्धन होता है और ये खाद्य श्रेन के माध्यम से मनुष्य और अन्य पशुओं में उनका प्रभाव स्थानान्तरित होते हैं। ऐसे क्षेत्र में जहां मत्स्य क्षेत्रों लवण क्यारियों का नियंत्रण करने वाले विचार हैं और जहां ऐसे रसायनों की उपस्थिति की संभावना/रिपोर्ट है वहां मामला विनिर्दिष्ट सीमाओं के नियतन के प्रयोजन के लिए समुचित रीतियों का अनुसरण करते हुए जैव समापन परीक्षण किया जाना चाहिए।

सारणी i.2

वर्ग एस डब्ल्यू–II जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

(स्नान करने, संविदा जल क्रीड़ा और वाणिज्यिक मत्स्य के लिए)

क्रम सं.	पैरामीटर	मानक	मूलाधार/टिप्पणियां
1.	पी एच रेंज	6.5—8.5	रेंज, त्वचा या आंखों में जलन उत्पन्न नहीं करनी और जलीय जीवन के प्रजनन के लिए सहायक भी है।
2.	घुला हुआ ऑक्सीजन	4.0 मि.ग्रा./एल या 50 प्रतिशत संतृप्ति मान इसमें से जो भी उच्चतर हो	जलीय जीवन के प्रजनन के लिए किसी भी समय 3.5 मि.ग्रा./एल से अन्यून।
3	रंग और गंध	कोई दृश्यमान रंग या अप्रिय गंध नहीं।	जल की दृश्यमान रंगत और मांस मछली में दूषण तथा गंध उत्पन्न करने वाले रासायनिक सम्मिश्रणों जैसे क्रियोसोल, फीनॉल, नेप्था, बेनजीन, पिरिडीन, टालूईन इत्यादि द्वारा विशेष रूप से कारित।
4.	प्लवमान पदार्थ	उपयोग के प्रयोजन के लिए घृणात्मक या हानिकारक बिल्कुल नहीं।	सांद्रण में कोई भी नहीं जो इस वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नियत उपयोग का ह्रास कर सके।
5.	गंदलापन	30 एन टी यू (नैफेलो गंदलापन एकक).	मापित 0.9 गहराई
6.	फीकल कोलइफार्म	100/100 मि.लि. (एम पी एन)	वर्ष में नमूने के 20 प्रतिशत में और मानसून मासों में 3 क्रमवर्ती नमूनों में औसत मूल्य 200/100 मि.लि. से अधिक नहीं।
7.	जीव रसायन आक्सीजन (बी ओ डी) (27° से पर 3 दिन)	3 मि.ग्रा./एल	नहाने के लिए निर्बंधित (जल के सौंदर्य संबंधी क्वालिटी) आई एस : 2296—1974 द्वारा विहित भी हो।

सारणी 1.3

वर्ग एस डब्ल्यू–III जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी के मानदंड

(औद्योगिक शीतलन आमोद प्रयोद (गैर संचिदा) और सौंदर्य संबंधी के लिए)

क्रमसं.	पैरामीटर	मानक	मूलाधार/टिप्पणियां
1.	पी एच रेंज	6.5—8.5	रेंज जलीय प्रजातियों के प्रजनन और प्राकृतिक प्रणाली के प्रत्यावर्तन के लिए सहायक है।
2.	द्रवी भूत आक्सीजन	3.0 मि.ग्रा./ली या 40 प्रतिशत संतृप्ति मान जो भी अधिक है	जलीय जीवन के संरक्षण के लिए
3.	रंग और गंध	कोई सुस्पष्ट रंग या अप्रिय गंध नहीं ऐसी सांद्रता में कोई भी नहीं जो इस वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नियत उपयोग का ह्रास कर सके।	
4.	प्लवमान पदार्थ	कोई दृश्यमान घृणाजनक प्लवमान कचरा, तेलीय चिकनाई, फैन नहीं	जैसा कि उपरोक्त 3 में
5.	फीकल कोलईफार्म	500/100 मि.ली. (एम.पी.एन.)	वर्ष में नमूनों के 20 प्रतिशत में और मानसून मासों में 3 क्रमवर्ती नमूनों में 1000/100 मि.ली. से अधिक नहीं
6.	गंधलापन	30 एन टी यू	आमोद प्रमोद, सौंदर्य संबंधी अधिमूल्यन, और औद्योगिक शीतन प्रयोजनों के लिए उचित रूप से साफ पानी।
*7.	धुला हुआ लोहा	0.5 मि.ग्रा./ली. या कम	पपड़ी उतरने के प्रभाव से बचाने के लिए यह वांछनीय है कि धुले हुए लोहा और मैन्गनीज की सामूहिक सांद्रता 0.5 मि.ग्रा/ली से कम या बराबर हो।
*8.	धुला हुआ मैन्गनीज (एम एन के रूप में)	0.5 मि.ग्रा./सी.या कम	—तदेव—

*अनन्य रूप से औद्योगिक शीतलन के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किये गए मानक/अन्य पैरामीटर समान हैं।

सारणी 1.4

वर्ग एस डब्ल्यू–IV जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी के मानदंड

(बंदरगाहों के जल के लिए)

क्रम सं.	पैरामीटर	मानक	मूलाधार/टिप्पणियां
1.	पी.एच. रेंज	6.5—9.0	संक्षारक और पपड़ी उतरने के प्रभाव को कम करने के लिए
2.	द्रवीभूत आक्सीजन	3.0 मि.ग्रा. ली या 40 प्रतिशत संतृप्ति मान जो भी अधिक है	तेल के जीव अवक्रमण और प्रकाश संश्लेषण द्वारा आक्सीजन उत्पादन में अवरोध को ध्यान में रखते हुए।
3.	रंग और गंध	कोई दृश्यमान रंग या अप्रिय गंध नहीं	अभिक्रियाशील रसायनों में से, जो पेंट/धात्विक सतहों का संधार कर सकते हैं, कोई नहीं
4.	प्लवमान पदार्थ तेल, ग्रीस और फैन (पैट्रौलियम उत्पादों सहित)	10 मि.ग्रा./ली	प्लवमान पदार्थ ऐसे जीवित जीव की अत्याधिकता से मुक्त होगा जो सामुद्रिक पोतों/उपस्कर के प्रभावी भाग को अवरुद्ध या उस पर लेप कर सकते हैं।
5.	फीकल कोलईफार्म	500/100 मि.ली. (ए.पी.एन.)	वर्ष में नमूनों के 20 प्रतिशत में और मानसून मासों में 3 क्रमवर्ती नमूनों पे में 1000/100 मि.ली. से अधिक नहीं
6.	जीव रसायनी आक्सीजन मांग (27° से. पर 3 दिन)	5 मि.ग्रा./ली.	मल और अन्य विघटनीय अपशिष्ट द्वारा कारित प्रदूषण से पानी को अपेक्षाकृत मुक्त रखने के लिए।

सारणी 1.5

वर्ग एस डब्ल्यू–V जलों के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

(नौपरिवहन और नियंत्रित अपशिष्ट व्ययन के लिए)

क्रम सं.	पैरामीटर	मानक	मूलाधार/टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	पी एच रेंज	6.0—9.0	न्यू इंग्लैण्ड अंतर्राज्यीय जल प्रदूषण नियंत्रण आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट

1	2	3	4
2.	द्रवीभूत आक्सीजन	3.0 मि.ग्रा./लीटर या 40 प्रतिशत संतृप्ति मान जो भी अधिक है	जलीय जीवन के संरक्षण के लिए
3.	रंग और गंध	ऐसी सांद्रता में कोई भी नहीं जो इस वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नियत उपयोग का ह्रास कर सके ।	यथा उपरोक्त (1) में
4.	ग्रवमल निक्षेप, ठोस, कूड़ा, प्लवमान ठोस, तेल, ग्रीस और फैन	कोई नहीं सिवाय ऐसी कम मात्रा के जो उचित रूप से अभिकल्पित मल और/या औद्योगिक अपशिष्ट बहिस्राव के विसर्जन के परिणाम स्वरूप आ सकता है ।	यथा उपरोक्त (1) में
5.	फीकल कोलईफार्म	500/100 मि.ली. (एमपीएन)	वर्ष में नमूनों के 20 प्रतिशत में और मानसून मासों में 3 क्रमवर्ती नमूनों में 1000/100 मि.ली. से अधिक नहीं।

87. रेयन उद्योग के लिए उत्सर्जन विनियम।

क. विद्यमान संयंत्र

सी एस$_2$ के अनियंत्रित उत्सर्जन परिणाम (ई क्यू) का प्राक्कलन

बी एस एफ के लिए,

ई क्यू = फाइबर के सी एस$_2$/टी का 125 कि.ग्रा.

बी एफ वाई के लिए

ई क्यू = फाइबर के सी एस$_2$/टी का 225 कि.ग्रा०

चिमनी की ऊंचाई (एच) उपेक्षा ए स	टिप्पणियां
11 क्यू $^{0.41}$ —3बी एस डी/यू	कुल उत्सर्जन का 80 प्रतिशत न्यूनतम चिमनी से गुजरेगा। यदि चिमनी की संगणित ऊंचाई 30 मीटर से कम है है तो कम से कम 30 मीटर ऊंचाई उपबंधित की जाएगी।

जहां

क्यू = सी एस$_2$ उत्सर्जन दर, किलो ग्राम/घंटा

बी एस = चिमनी की निकासी का वेग एम/सेकेंड

डी = चिमनी का व्यास, एम

यू = चिमनी की चोटी पर वायु की वार्षिक औसत गति, एम/सेकेंड

बहुविध चिमनियां

1. यदि संयंत्र में विद्यमान चिमनी एक से अधिक है तो सभी चिमनियां अपेक्षित ऊंचाई किसी एक चिमनी में अधिकतम उत्सर्जन दर पर आधारित होगी। दूसरे शब्दों में सी एस$_2$ उत्सर्जन करने वाली सभी चिमनियों की ऊंचाई समान होगी '(अधिकतम उत्सर्जन दर के आधार पर)।

2. चिमनियों की संख्या विद्यमान संख्या से अधिक नहीं होगी। फिर भी चिमनियों की संख्या कम की जा सकती है। विद्यमान चिमनियां पुनर्निमित की जा सकती हैं और यदि चिमनियों का पुनः अवस्थित किया जाना हो तो नीचे दी गई शर्त 3 लागू होगी।

3. चिमनियों के बीच की न्यूनतम दूरी (×) 3.0 एच (एम में) होगी। यदि दो चिमनियों के बीच की दूरी "×" 3.0 एच (एम में) से कम है तो उत्सर्जन एक प्रक्रम स्रोत माना जाएगा और दोनों चिमनियों की ऊंचाई एक चिमनी के माध्यम से जा रहे उत्सर्जन को मानकर संगणित की जाएगी।

(ख) परिवेशी वायु की क्वालिटी को मानीटर करना।

उद्योग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रा.प्र.नि.बो.) के परामर्श से डब्ल्यू.एच.ओ. के द्वारा आस पास की वायु की क्वालिटी के सक्रियम (सी एस^2 = 100 यू जी/एम^3 और एच$_2$ एस = 150 यू जी/एम^3 24-घंटे-औसत (के सुझाव की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सी एस$_2$ और एच$_2$ एस मापने के लिए तीन वायु क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन स्थापित करेगी।

(ग) ऐसे नए संयंत्र/परियोजनाओं का विस्तार जो 1-6-1999 को या उसके बाद चालू किए जाने हैं के लिए अनुज्ञेय उत्सर्जन सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

सी एस$_2$ = 21 कि.ग्रा./टन फाइबर

एच$_2$ एस = 6.3 कि.ग्रा./टन फाइबर

(टिप्पण:—ऊपर क और ख नए संयंत्रों/परियोजनाओं के विस्तार को भी लागू होंगे)

[फा.सं. क्यू. 1501 /13/95-सी. पी. डब्ल्यू.-7]

डा. जी. के. पाण्डेय, निदेशक

पाद टिप्पणी :—मुख्य नियम भारत के राजपत्र में सं.का.आ. 844 (ई) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 के अनुसार प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 433(ई), दिनांक 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(ई), दिनांक 18 जनवरी, 1988, का. आ. (ई), दिनांक 3 जनवरी, 1989, का.आ. 12(ई), दिनांक 5 जनवरी, 1990, जी. एस. आर. 74(ई) दिनांक 30 अगस्त, 1990, का. आ. 23 (ई) दिनांक 16 जनवरी, 1991, जी. एस. आर. 93 (ई), दिनांक 21 फरवरी, 1991, जी.एस.आर. 95(ई), दिनांक 12 फरवरी, 1992, जी.एस.आर. 329(ई), दिनांक 13 मार्च, 1992 जी.एस.आर. 475(ई), दिनांक मई, 1992, जी एस आर 797 (ई), दिनांक 1 अक्तूबर, 1992, जी एस आर 386(ई), दिनांक 28 अप्रैल, 1993, जी.एस.आर. 422(ई), दिनांक 19 मई, 1993, जी.एस.आर. 801(ई), दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 जी.एस.आर. 176(ई) दिनांक 2 अप्रैल, 1996, जी. एस. आर. 631(ई), दिनांक 31 अक्तूबर, 1997, का. आ. 504 (अ) दिनांक 21-8-1998. द्वारा उनमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 22nd December, 1998

G. S. R. 7.—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environmental (Protection) Rules, 1986—

(a) in rule 3, for sub-rule (3B), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3B) The combined effect of emission or discharge of environmental pollutants in an area, from industries, operations, processes, automobiles and domestic sources, shall not be permitted to exceed the relevant concentration in ambient air as specified against each pollutant in columns (3) to (5) of Schedule VII";

(b) in Schedule I,—

(i) against serial number 74 relating to emission standards for brick kilns, for the existing Para III, the following shall be substituted, namely:

"III Existing moving chimney bull's trench kilns shall be dispensed with by June 30, 1999 and no new moving chimney kilns shall be allowed to come up";

(ii) after serial number 80 and the entries thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

"81. Battery manufacturing industry

(i) Lead Acid Battery Manufacturing Industries. Emission Standards.

Source	Pollutant	Standards Conc. based (mg/Nm³)
Grid casting	Lead	10
	Particulate matter	25
Oxide manufacturing	Lead	10
	Particulate matter	25
Paste mixing	Lead	10
	Particulate matter	25
Assembling	Lead	10
	Particulate matter	25
PVC Section	Particulate matter	150

— To comply with the respective standards, all the emissions from above-mentioned sources shall be routed through stack connected with hood and fan in addition to above, installation of control equipment viz. Bag filter/ venturi scrubber, is also recommended.

— The minimum stack height shall be 30 m

Liquid Effluent Discharge Standards

Pollutant	Concentration based standards
pH	6.5—8.5
Suspended solids	50 mg/l
Lead	0.1 mg/l

(ii) Dry Cell Manufacturing Industry: Emission Standards

Pollutant	Standards Concentration-based. (mg/Nm^3)
Particulate matter	50
Manganese as Mn	5

— To comply with the respective standards, all the emissions from above-mentioned sources shall be routed through stack connected with hood and fan. In addition to above, installation of control equipment viz. bag filter/ ventury scrubber, is also recommended.

— The minimum stack height shall be 30 m.

Effluent Standards

Pollutant	Concentration based standards
pH	6.5—8.5
Total suspended solids	100 mg/l
Manganese as Mn	2 mg/l
Mercury as Hg	0.02 mg l
Zinc as Zn	5 mg/l

(iii) Secondary Lead Smelters

Pollutant	Concentration-based standards
Lead as Pb	10 mg/Nm^3
Particulate matter	50 mg/Nm^3
Minimum stack height	30 m

82. Environmental Standards for Gas/Naphtha-based Thermal Power Plants

(i) Limit for emission of NOx

(a) For existing units—150 ppm (v/v) at 15% excess oxygen.

(b) For new units with effect from 1-6-1999.

Total generation of gas turbine	Limit for Stack NOx emission [(v/v), at 15% excess oxygen]
(a) 400 MW and above	(i) 50 ppm for the units burning natural gas. (ii) 100 ppm for the units burning naphtha
(b) Less than 400 MW but upto 100 MW	(i) 75 ppm for the units burning natural gas (ii) 100 ppm for the units burning naphtha
(c) Less than 100 MW	100 ppm for units burning natural gas or naphtha as fuel
(d) For the plants burning gas in a conventional boiler.	100 ppm

(ii) Stack height H in m should be calculated using the formula $H=14\ Q^{0.3}$, where Q is the emission rate of SO_2 in kg/hr, subject to a minimum of 30 mts.

(iii) Liquid waste discharge limit

Parameter	Maximum limit of concentration (mg/l except for pH and temperature)
pH	6.5—8.5
Temperature	As applicable for other thermal power plants.
Free available chlorine	0.5
Suspended solids	100.0
Oil and grease	20.0
Copper (total)	1.0
Iron (total)	1.0
Zinc	1.0
Chromium (total)	0.2
Phosphate	5.0

83. Standards/Guidelines for control of Noise Pollution from Stationary Diesel Generator (DG) Sets

(A) Noise Standards for DG sets (15-500 KVA)

The total sound power level, Lw, of a DG set should be less than, $94+10\log_{10}$ (KVA), dB(A), at the manufacturing stage, where, KVA is the nominal power rating of a DG set.

This level should fall by 5 dB(A) every five years, till 2007, i.e. in 2002 and then in 2007.

(B) Mandatory acoustic enclosure/acoustic treatment of room for stationary DG sets (5 KVA and above)

Noise from the DG set should be controlled by providing an acoustic enclosure or by treating the room acoustically.

The acoustic enclosure/acoustic treatment of the room should be designed for minimum 25 dB (A) Insertion Loss or for meeting the ambient noise standards, whichever is on the higher side (if the actual ambient noise is on the higher side, it may not be possible to check the performance of the acoustic enclosure/acoustic treatment. Under such circumstances the performance may be checked for noise reduction upto actual ambient noise level, preferably, in the night time). The measurement for Insertion Loss may be done at different points at 0.5m from the acoustic enclosure/room, and then averaged.

The DG set should also be provided with proper exhaust muffler with Insertion Loss of minimum 25 dB(A).

(C) Guidelines for the manufacturers/users of DG sets (5 KVA and above)

01 The manufacturer should offer to the user a standard acoustic enclosure of 25 dB(A) Insertion Loss and also a suitable exhaust muffler with Insertion Loss of 25 dB (A).

02 The user should make efforts to bring down the noise levels due to the DG set, outside his premises, within the ambient noise requirements by proper siting and control measures.

03 The manufacturer should furnish noise power levels of the unsilenced DG sets as per standards prescribed under (A).

04 The total sound power level of a DG set, at the user's end, shall be within 2 dB(A) of the total sound power level of the DG set, at the manufacturing stage, as prescribed under (A).

05 Installation of a DG set must be strictly in compliance with the recommendations of the DG set manufacturer.

06 A proper routine and preventive maintenance procedure for the DG set should be set and followed in consultation with the DG set manufacturer which would help prevent noise levels of the DG set from deteriorating with use.

84. Temperature Limit for Discharge of Condenser Cooling Water from Thermal Power Plant.

A : New thermal power plants commissioned after June 1, 1999.

New thermal power plants, which will be using water from rivers/lakes/reservoirs, shall install cooling towers irrespective of location and capacity. Thermal power plants which will use sea water for cooling purposes, the condition below will apply.

B : New projects in coastal areas using sea water.

The thermal power plants using sea water should adopt suitable system to reduce water temperature at the final discharge point so that the resultant rise in the temperature of receiving water does not exceed 7°C over and above the ambient temperature of the receiving water bodies.

C : Existing thermal power plants.

Rise in temperature of condenser cooling water from inlet to the outlet of condenser shall not be more than 10°C.

D ; Guidelines for discharge point:

1. The discharge point shall preferably be located at the bottom of the water body at mid-stream for proper dispersion of thermal discharge.

2. In case of discharge of cooling water into sea, proper marine outfall shall be designed to achieve the prescribed standards. The point of discharge may be selected inconsultation with concerned State Authorities/NIO.

3. No cooling water discharge shall be permitted in estuaries or near ecologically sensitive areas such as mangroves, coral reefs/spawning and breeding grounds of acquatic flora and fauna.

85. Environmental Standards for Coal Washeries

1. Fugitive emission standards

— The difference in the value of suspended particulate matter, delta (△) , measured between 25 and 30 metre from the enclosure of coal crushing plant in the downward and leeward wind direction shall not exceed 150 microgram per cubic meter. Method of measurement shall be High Volume Sampling and Average flow rate, not less than 1.1 m^3 per minute, using upwind downwind method of measurement.

2. Effluent discharge standards

— The coal washeries shall maintain the close circuit operation with zero effluent discharge.

— If in case due to some genuine prbolems like periodic cleaning of the system, heavy rainfall etc. it become necessary to discharge the effluent to sewer/land/stream then the effluent shall conform to the following standards at the final outlet of the coal washery.

S.No.	Parameter	Limits
1.	pH	5.5—9.0
2.	Total suspended solids	100 mg/l
3.	Oil & Grease	10 mg/l
4.	B.O.D. (3 days 27 deg C)	30 mg/l
5.	COD	250 mg/l
6.	Phenolics	1.0 mg/l

3. Noise level standards

— Operational/Working zone—not to exceed 85 dB (A) Leq for 8 hours exposure.

— The ambient air quality standards in respect of noise as notified under Environmental (Protection) Rules, 1986 shall be followed at the boundary line of the coal washery.

4. Code of practice for Coal Washery

— Water or Water mixed chemical shall be sprayed at all strategic coal transfer points such as conveyors, loading/unloading points etc. As far as practically possible conveyors, transfer points etc. shall be provided with enclosures.

— The crushers/pulverisers of the coal washeries shall be provided with enclosures, fitted with suitable air pollution control measures and finally emitted through a stack of minimum height of 30 m, conforming particulate matter emission standard of 150 mg/Nm^3 or provided with adequate water sprinkling arrangement.

— Water sprinkling by using fine atomizer nozzeles arrangement shall be provided on the coal heaps and on around the crushers/pulverisers.

— Area, in and around the coal washery shall be pucca either asphalted or concreted.

— Water consumption in the coal washery shall not exceed 1.5 cubic meter per tonne of coal.

— The efficiency of the settling ponds of the waste water treatment system of the coal washery shall not be less than 90%.

— Green belt shall be developed along the road side, coal handling plants, residential complex, office building and all around the boundary line of the coal washery.

— Storage bunkers, hoppers, rubber decks in chutes and centrifugal chutes shall be provided with proper rubber linings.

— Vehicles movement in the coal washery area shall be regulated effectively to avoid traffic congestion. High pressure horn shall be prohibited. Smoke emission from heavy duty vehicle operating in the coal washeries should conform the standards prescribed under Motor Vehicle Rules 1989.

86. Water quality standards for coastal waters marine outfalls

In a coastal segment marine water is subjected to several types of uses. Depending of the types of uses and activities, water quality criteria have been specified to determine its suitability for a particular purpose. Among the various types of uses there is one use that demands highest level of water quality/purity and that is termed a "designated best use" in that stretch of the coastal segment. Based on this, primary water quality criteria haves been specified for following five designated best uses:—

Class	Designated best use
SW-I (See Table 1.1)	Salt pans, Shell fishing, Mariculture and Ecologically Sensitive Zone.
SW-II (See Table 1.2)	Bathing, Contact Water Sports and Commercial fishing.
SW-III (See Table 1.3)	Industrial cooling, Recreation (non-contact) and Aesthetics.
SW-IV (See Table 1.4)	Harbour.
SW-V (See Table 1.5)	Navigation and Controlled Waste Disposal.

The standards along with rationale/remarks for various parameters, for different designated best uses, are given in Table 1.1 to 1.5.

Table 1.1

PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR CLASS SW-I WATERS

(For Salt pans, Shell fishing, Mariculture and Ecologically Sensitive Zone)

S.No.	Parameter	Standards	Rationale/Remarks
1	2	3	4
1.	pH range	6.5—8.5	General broad range, conductive for propagation of aquatic lives, is given. Value largely dependant upon soil-water interaction.
2.	Dissolved Oxygen	5.0 mg/l or 60 percent saturation value, whichever is higher	Not less than 3.5 mg/l at any time of the year for protection of aquatic lives.
3.	Colour and Odour	No noticeable colour or offensive odour.	Specially caused by chemical compounds like creosols, phenols, naptha, pyridine, benzene, toluene etc. causing visible coloration of salt crystal and tainting of fish flesh.
4.	Floating Matters	Nothing obnoxious or detrimental for use purpose.	Surfactants should not exceed an upper limit of 1.0 mg/l and the concentration not to cause any visible foam.

1	2	3	4
5.	Suspended Solids	None from sewage or industrial waste origin	Settleable innert matters not in such concentration that would impair any usages specially assigned to this class.
6.	Oil and Grease (including Petroleum Products)	0.1 mg/l	Concentration should not exceed 0.1 mg/l as because it has effect on fish eggs and larvae.
7.	Heavy Metals: Mercury (as Hg) Lead (as Pb) Cadmium (as Cd)	0.01 mg/l 0.01 mg/l 0.01 mg/l	Values depend on: (i) Concentration in salt, fish and shell fish. (ii) Average per capita consumption per day. (iii) Minimum ingestion rate that induces symptoms of resulting diseases.

Note : SW-1 is desirable to be safe and relatively free from hazardous chemicals like pesticides, heavy metals and radionuclide concentrations. Their combined (synergestic or antagonistic) effects on health and aquatic lives are not yet clearly known. These chemicals undergo bio-accumulation, magnification and transfer to human and other animals through food chain. In areas where fisheries, salt pans are the governing considerations, and presence of such chemicals apprehended/reported, bioassay test should be performed following appropriate methods for the purpose of setting case-specific limits.

TABLE 1.2

PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR CLASS SW-II WATERS

(For *Bathing*, Contact Water Sports and Commercial Fishing)

S. No.	Parameter	Standards	Rationale/Remarks
1.	pH range	6.5—8.5	Range does not couse skin or eye irritation and is also conducive for propagat aquatic lives.
2.	Dissolved Oxygen	4.0 mg/l or 50 percent saturation value whichever is higher.	Not less than 3.5 mg/l at anytime for protection of aquatic lives.
3.	Colour and Odour	No noticeable colour or offensive odour.	Specially caused by chemical compound like creosols phenols, naptha, benzene, pyridine, toluene etc. causing visible colouration of water and tainting of and odour in fish flesh.
4.	Floating Matters	Nothing obnoxious or detrimental for us purpose.	None in concentration that would impai usages specially assigned to this class.
5.	Turbidity	30 NTU (Nephelo Turbidity Unit)	Measured at 0.9 depth.
6.	Fecal Coliform	100/100 ml (MPN)	The average value not exceeding 200/100 ml. in 20 percent of samples in the year and in 3 consecutive samples in monsoon months.
7.	Biochemical Oxygen Demand (BOD) (3 days at 27° C)	3 mg/l	Restricted for bathing (aesthetic quality of water). Also prescribed by IS:2296-1974.

Table 1,3

PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR CLASS SW-III WATERS

[For Industrial Cooling, Recreation (non-contact) and Aesthetics]

S. No.	Parameter	Standards	Rationale/Remarks
1.	pH range	6.5—8.5	The range is conducive for propagation of aquatic species and restoring natural system.
2.	Dissolved Oxygen	3.0 mg/l or 40 percent saturation value whichever is higher.	To protect aquatic lives.
3.	Colour and Odour	No noticeable colour or offensive odour.	None in such concentration that would impair usages specifically assigned to this class.
4.	Floating Matters	No visible, obnoxious floating debris, oil slick, scum.	As in (3) above.
5.	Fecal Coliform	500/100 ml (MPN)	Not exceeding 1000/100 ml in 20 percent of samples in the year and in 3 consecutive samples in monsoon months.
6.	Turbidity	30 NTU	Reasonably clear water for Recreation, Aesthetic appreciation and Industrial cooling purposes.
*7.	Dissolved Iron (as Fe)	0.5 mg/l or less	It is desirable to have the collective concentration of dissolved Fe and Mn less or equal to 0.5 mg/l to avoid scaling effect.
*8.	Dissolved Manganese (as Mn)	0.5 mg/l or less	

*Standards included exclusively for Industrial Cooling purpose. Other parameters same.

Table 1.4

PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR CLASS SW-IV WATERS

(For Harbour Waters)

S. No.	Parameter	Standards	Rationale/Remarks
1.	pH range	6.5—9.0	To minimize corrosive and scaling effect.
2.	Dissolved Oxygen	3.0 mg/1 or 40 percent saturation value whichever is higher.	Considering bio-degradation of oil and inhibition to oxygen production through photosynthesis.
3.	Colour and Odour	No visible colour or offensive odour.	None from reactive chemicals which may corrode paints/metallic surfaces.
4.	Floating materials, Oil, grease and scum (including Petroleum products)	10 mg/1	Floating matter should be free from excessive living organisms which may clog or coat operative parts of marine vessels/ equipment.
5.	Fecal Coliform	500/100 ml (MPN)	Not exceeding 1000/100 ml in 20 percent of samples in the year and in 3 consecutive samples in monsoon months.
6.	Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27° C)	5 mg/1	To maintain water relatively free from pollution caused by sewage and other decomposable wastes.

Table 1.5

PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR CLASS SW-V WATERS

(For Navigation and Controlled Waste Disposal)

S. No.	Parameter	Standards	Rationale/Remarks
1.	pH range	6.0—9.0	As specified by New England Interstate Water Pollution Control Commission.
2.	Dissolved Oxygen	3.0 mg/l or 40 percent saturation value whichever is higher	To protect aquatic lives.
3.	Colour and Odour	None in such concentrations that would impair any usages specifically assigned to this class.	As in (1) above.
4.	Sludge deposits, Solid refuse floating solids, oil, grease & scum.	None except for such small amount that may result from discharge of appropriately treated sewage and/or industrial waste effluents	As in (1) above.
5.	Fecal Coliform	500/100 ml (MPN)	Non exceeding 1000/100 ml in 20 percent of samples in the year and in 3 consecutive samples in monsoon months.

87. Emission Regulations for Rayon Industry

a. Existing Plants

Estimation of Uncontrolled Emission Quantity (EQ) of CS_2

For VSF,

EQ = 125 kg of CS_2 /t of fibre

For VFY,

EQ = 225 kg of CS_2/t of fibre

Stack Height (H) requirement, m	Remarks
11 Q 0.41— 3VsD/u	A minimum of 80% of total emission shall pass through stack. If the calculated stack height is less than 30 m, a minimum of height 30 m shall be provided.

where Q — CS_2 emission rate, kg/hr

Vs — stack exit velocity, m/sec.

D — diameter of stack, m

u — annual average wind speed at top of stack, m/sec

Multiple Stacks

1. If there are more than one stack existing in the plant, the required height of all stacks shall be based on the maximum emission rate in any of the stacks. In other words, all the stacks carrying CS_2 emission shall be of same heights (based on the maximum emission rate).

2. Number of stacks shall not be increased from the existing number, However, the number of stacks may be reduced. The existing stacks may be rebuilt and if stacks are to be relocated, condition 3 below applies.

3. Spacing among the stacks (x) at the minimum shall be 3.0 H (in m). If distance , x, between two stacks is less than 3.0 H (in m), emission shall be considered as single point source and height of both the stacks shall be calculated considering all emission is going through one stack.

b. Ambient Air Quality Monitoring

The industry shall install three air quality monitoring stations for CS_2 and H_2S measurements in consultation with State Pollution Control Board (SPCB) to ensure attainment of WHO recommended ambient air quality norms (CS_2 = 100 $\mu g/m^3$ and H_2S = 150 $\mu g/m^3$, 24=hr. average).

c. For new plants/expansion projects being commissioned on or after 1-6-1999.

Permissible emission limits are :

CS_2 = 21 kg/t of fibre

H_2S = 6.3 kg/t of fibre

(Note : a. and b. above also apply to new plants/expansion projects).".

[F.No. Q-15017/13/95-CPW]

DR. G. K. PANDEY, Director

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated the 18th April, 1987, S.O. 64 (E) dated the 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated the 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated the 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990 G.S.R. 742 E dated the 30th August, 1990, S.O. 23 (E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93 (E) dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95 (E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475 (E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797 (E) dated the 1st October,1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422 (E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October, 1997 and G.S.R. 504 (E) dated the 20th August, 1998.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 8.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये 21 अगस्त, 1990 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा नियम, 1990 में, अनुसूची-3 में, क्रम में 3 के सामने, स्तम्भ 5 के अधीन की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी विभागों के अधीन ऐसे अधिकारी, जो अपने मूल काडर में निदेशक (इंजीनियरी) या अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की श्रेणी में कार्यरत हों अथवा जिन्होंने उपनिदेशक (इंजीनियरी) या कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(कृपया नीचे दिया गया टिप्पण-II भी देखें)।"

[सं. 21/98 फा.सं. 39/10/82-प्रशा. एक]

टी.पी. राधाकृष्णन, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :—केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा नियम, 1998 में, अनुसूची-3 में, क्र.सं. 3 के सामने स्तम्भ-5 के अधीन कतिपय शब्द अनवधानतः मुद्रित नहीं किए जा सके थे जबकि सेवा के अन्य सभी पदों के संबंध में उपबन्ध विद्यमान है। ऐसे कतिपय शब्दों के इस अंतःस्थापन से सेवा के किसी भी अधिकारी के हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पण :— मूल नियम सा.का.नि. सं. 720, तारीख 21 अगस्त, 1990 द्वारा सूचित किए गए थे, और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 250, तारीख 7 जून, 1997 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 21st December, 1998

G.S.R. 8.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1990, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Power Engineering (Group A) Service (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 21st day of August, 1990.

2. In the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1990, in Schedule III, against serial no. 3, for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"Officers under the Central Government|State Governments|Union Territories, Central or State Government Undertakings|Semi-Government Departments working in the grade of Director (Engineering) or Superintending Engineer or equivalent in their parent cadres or having five years' regular service in the grade of Deputy Director (Engineering) or Executive Engineer or equivalent.

(Also see note 11 below)."

[No. 21|98. F. 39|10|82-Adm I]

T. P. RADHAKRISHNAN. Under Secy.

Explanatory Memorandum.—In the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1990, in Schedule III against serial no. 3, under column 5, certain words could not be inadvertently printed, while the provision exits in relation to all the other posts of the Service. This insertion of those certain words will not in any way adversely affect the interests of any officer of the Service.

Footnote.—The principal rules were notified vide number G.S.R. 720(E), dated the 21st August, 1990 and subsequently amended vide number G.S.R. 250, dated the 7th June, 1997.

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1998

सा. का. नि. 9 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (उच्च श्रेणी लिपिक श्रेणी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, उच्च श्रेणी लिपिक, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संयुक्त सचिव (कार्मिक) भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग;

(ख) "अनुमोदित सेवा" से अभिप्रेत है निर्णायक तारीख को निम्न श्रेणी लिपिक और 3050–4590 रु. के वेतनमान में जेराक्स आपरेटर की श्रेणियों में तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा;

(ग) "उपलब्ध रिक्ति" से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है जो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने के लिए अपेक्षित है;

(घ) "निर्णायक तारीख" से परीक्षा लेने के विनिश्चय को सूचित करने वाली अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती 1 जुलाई अभिप्रेत है;

(ङ) "परीक्षा" से ऐसी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है जो उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से आयोजित की जाती है;

(च) "भर्ती वर्ष" से वह अवधि अभिप्रेत है जो 1 जुलाई, से आरंभ होती है और अगले वर्ष 30 जून, को समाप्त होती है;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" के वही अर्थ होंगे जो उनके भारत के संविधान के अनुच्छेद 388 के खंड (24) और खंड (25) में उनका क्रमशः है।

3 पात्रता की शर्तें :—निम्न श्रेणी लिपिक या 3050-4500 रु. के वेतनमान में जेराक्स आपरेटर के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त ऐसा व्यक्ति और जो उस श्रेणी में निर्णायक तारीख को तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा कर चुका है, परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा।

4. परीक्षा का आयोजन :—(1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की तारीख और स्थान तथा भर्ती वर्ष में उपलब्ध और प्रत्याशित नियुक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा, परीक्षा अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से अधिसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संचालित की जाएगी।

(2) परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी।

5. परिणाम :—(1) परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता सूची, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के नामों को योग्यता के क्रम में दिखाया गया हो, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियां और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन के कोई पृथक मानक नहीं होंगे।

(2) उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में आते हैं।

(3) योग्यता सूची बिना किसी समय की परिसीमा के अधिसूचित रिक्तियों के भरे जाने तक प्रवृत्त रहेगी।

6. नियुक्ति :—किसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने से ही नियुक्त किए जाने का अधिकार नहीं मिल जाएगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसका यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासन संबंधी मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और योग्यता सूची में उसका स्थान, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं को विचार में लेने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए कानूनी आदेशों या नियमों द्वारा अधिकथित की जाएगी।

7. टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दायित्व :—ऐसे अभ्यर्थी से जिसे परीक्षा के आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक नियुक्त किया गया है, यदि उसने पहले ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो उस श्रेणी में उसकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द या हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की न्यूनतम गति से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि वह दो वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे उच्च श्रेणी लिपिक में दूसरा और पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धियां होने की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ऐसी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता या उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन इस अपेक्षा से अन्यथा छूट नहीं दी जाती है ;

परन्तु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर या इस प्रकार छूट प्राप्त कर लेने पर, या इस प्रकार छूट प्राप्त कर लेने पर, उसके वेतन को पुनः स्थिरत किया जाएगा मानो वह सामान्य तारीख की वेतन वृद्धि के लिए हकदार था, किन्तु उस अवधि के लिए वेतन का कोई बकाया अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे टंकण परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण वेतन वृद्धि संदत्त नहीं की गई थी।

8. पद त्याग आदि पर योग्यता सूची से नाम का हटाया जाना :—

(1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की दशा में जो परीक्षा में बैठने के पश्चात् सेवा का त्याग कर देता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसकी नियुक्ति किसी काडर बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में हो जाती है, और नियम 3 में उल्लिखित पदों में से किसी पर धारणाधिकार बनाए नहीं रखता है, उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि सम्मिलित है तो उसमें से काट दिया जाएगा।

(2) जहां कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित है या जिसे किसी काडर बाह्य पद पर नियुक्त किया जाता है या किया गया है या नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा से केन्द्रीय सरकार के किसी दूसरे विभाग में स्थानान्तरण किया जाता है और नियम 3 में उल्लिखित पदों में से किसी पर धारणाधिकार बनाए रखता है तो उसको उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता सूची के चालू रहने के दौरान इलेक्ट्रानिकी विभाग में अपने प्रारंभिक पद पर अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता :

परन्तु प्रोफार्मा प्रोन्नति के लिए उसके दावे पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार विचार किया जा सकेगा।

9. प्रतिरूपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति :—कोई अभ्यर्थी जो निम्नलिखित का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है :—

(i) अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करना;

(ii) प्रतिरूपण;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना;

(iv) गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनमें गड़बड़ी की गई हो ;

(v) ऐसे कथन करना जो सही नहीं हैं या मिथ्या है या तात्विक जानकारी छिपाना;

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन या सहारा लेना;

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित साधन का प्रयोग करना;

(viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना ;

(iX) खंड (i) से लेकर खंड (ix) तक में विनिर्दिष्ट सभी या कोई कार्य यथास्थिति करने का प्रयत्न करना या करने के लिए दुष्प्रेरित करना ;

दांडिक कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नलिखित का दायी होगा —

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस परीक्षा से निरर्हित किया जाना; या

(ख) अनुशासनिक कार्यवाई किया जाना।

10. शिथिल करने की शक्ति :—जहां नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

अनुसूची

(नियम 4 देखें)

परीक्षा निम्नलिखित तीन भागों में संचालित होगी, अर्थात् :—

भाग 1

लिखित परीक्षा अधिकतम 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आबंटित अधिकतम अंक और अनुज्ञात समय निम्नलिखित रूप में होंगे अर्थात् :—

प्रश्न पत्र सं.	विषय	अधिकतम अंक	समय
1.	निबंध और सार लेखन		1.30 घंटे
	(क) निबंध	25	
	(ख) सार लेखन	25	
2.	भाग क : टिप्पण और प्रारूपण	50	2.00 घंटे
	भाग ख : कार्यालय प्रक्रिया	50	
3.	साधारण ज्ञान	50	1.00 घंटे

3. परीक्षा के लिए विषयवार पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

(1) निबंध और सार लेखन.

(क) निबंध : विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी एक पर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में या अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखना।

(ख) सार लेखन : सारांश या सार तैयार करने के लिए लेखांश अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा।

(2) टिप्पण और प्रारूपण तथा कार्यालय प्रक्रिया :— टिप्पण, प्रारूपण और कार्यालय प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पत्र, जिसका उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि में) में देना होगा। अभ्यर्थी के सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में प्रक्रिया के ज्ञान और साधारणतया टिप्पण और प्ररूपों के लिखने तथा समझने की उनकी योग्यता की जांच करने के लिए अभिकल्पित होगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साधारणतया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यालय प्रक्रिया निर्देशिका सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी किए गए कार्यालय प्रक्रिया पर नोट, लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की बाबत जारी की गई आदेशों की निर्देशिका पुस्तक की प्रमुख बातों से परिचित हो।

(3) साधारण ज्ञान :—इन प्रश्नों का उद्देश्य भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, अर्थशास्त्र, शासन तंत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामयिक बातों के बारे में साधारण जानकारी के बारे में अभ्यर्थी के ज्ञान की परीक्षा करने का है।

भाग 2

अभ्यर्थी की सेवा के अभिलेखों का ऐसी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन, जिसमें निम्नलिखित होंगे, —

(1) संयुक्त सचिव (कार्मिक), भारत सरकार, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग —अध्यक्ष

(2) उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य

(3) उप निदेशक (प्रशासन से भिन्न) —सदस्य

(4) अन्य मंत्रालय या विभाग से केन्द्रीय सरकार का अधिकारी, जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं हो —सदस्य

यह भाग अधिकतम 50 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों के लिए पिछले पांच वर्षों के करेक्टर रोल जोजियर्स की संवीक्षा की जाएगी। प्रत्येक वर्ष के लिए "उत्कृष्ट" प्रवृष्टि के लिए 10 अंक, "बहुत अच्छी" प्रवृष्टि के लिए 8 अंक और "अच्छी" प्रवृष्टि के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। "उत्कृष्ट" प्रवृष्टि पर्याप्त टिप्पणियों तथा उपयुक्त वास्तविकताओं द्वारा समर्थित होनी चाहिए अन्यथा उसे "बहुत अच्छी" ही माना जाएगा।

भाग 3

भाग 2 में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अभ्यर्थी के साक्षात्कार या उसके साथ व्यक्तिगत चर्चा के अधिकतम 50 अंक।

[सं. 1 (2)/96—पी. III]

प्रवीण कुमार दत्त, उप निदेशक

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 31st December, 1998

G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Electronics (Upper Division Clerks Grade Departmental Competitive Examination) Regulations 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the departmental competitive examination for promotion to the post of Upper Division Clerks in the Department of Electronics, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Electronics, Upper Division Clerk, Departmental Competitive Examination Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "appointing authority" means the Joint Secretary (Personnel) to the Government of India, Department of Electronics;

(b) "approved service" means three years regular and continuous service in the grades of Lower Division Clerk and Xerox Operator in the pay scale of Rs. 3050—4590 on the crucial date;

(c) "available vacancy" means a vacancy in the post of Upper Division Clerk which is required to be filled up on the basis of the results of the examination;

(d) "crucial date" means the 1st day of July preceding the date of notification conveying the decision to hold the examination;

(e) "examination" means the limited departmental competitive examination for promotion to the post of Upper Division Clerk held in the manner specified in the Schedule;

(f) "recruitment year" means the period commencing from the 1st day of July and ending on the 30th day of June of the following year;

(g) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(h) "The Scheduled Castes" and "The Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

3. Conditions of eligibility.—A person appointed on regular basis as Lower Division Clerk or Xerox Operator in the pay scale of Rs. 3050—4590 and having three years' approved service in that grade on the crucial date shall be eligible to appear in the examination.

4. Holding of the examination.—(1) The appointing authority shall notify the dates and place of the examination and number of available and anticipated vacancies in the recruitment year. The examination shall be conducted after the expiry of a period of thirty days from the date of notification in the manner specified in the Schedule.

(2) In the notification to hold the examination, the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes and other special categories of persons shall be clearly indicated.

5. Results.—(1) On the basis of the aggregate marks secured by the candidate in the examination a merit list containing the names of the successful candidates in order of merit shall be notified, keeping in view the number of vacancies and anticipated vacancies, if any, falling in the recruitment year. There shall be no separate standards of evaluation for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons.

(2) The candidates for appointment against the available vacancies shall be considered in the order in which their names appear in the merit list prepared under sub-rule (1).

(3) The merit list shall remain in operation without any time limit till the notified vacancies are filled up.

6. Appointment.—The inclusion of the name of any candidate in the merit list shall not confer a right to appointment and he shall be appointed by the appointing authority only after satisfying itself that no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the candidate and after taking into account his placement in the merit list, the reservation of posts or such other requirements as may be laid down by statutory orders or rules issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

7. Liability to pass typewriting test.—A candidate appointed as Upper Division Clerk on the basis of the examination, shall be required to pass a test in typewriting, if not already done, at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of his appointment as such. In the event of his failure to pass the test in typewriting within the specified period of two years, he shall not be allowed to draw the second and subsequent increments in the Upper Division Clerks Grade until he pass such test in typewriting or is otherwise exempted from this requirement under any special or general orders issued by the Central Government :

Provided that on passing the test in typewriting or being so exempted his pay shall be refixed as if he was entitled to his increments on normal dates but no arrears of pay shall be allowed for the period for which he was not paid his increment due to non-passing of the test in typewriting.

8. Removal of name from merit list on resignation, etc.,—

(1) In case a candidate after appearing at the examination resigns from the service or whose services are terminated or who is appointed to an ex-cadre post or to any other service and does not have a lien on any of the posts mentioned in rule 3, his name shall not be included in the merit list, or if included shall be struck off therefrom.

(2) Where a candidate, whose name is included in the merit list is or has been appointed to an ex-cadre post or is transferred to another department of the Central Government with the permission of the appointing authority and continue to have a lien on any of the posts mentioned in rule 3, shall not be appointed as Upper Division Clerk till he resumes the duties in the Department of Electronics on his initial post during the period the merit list remains in force :

Provided that his claim for proforma promotion may be considered by the appointing authority in accordance with the orders of the Central Government, issued in this behalf from time to time.

9. Penalty for impersonation or other misconduct.—A candidate, who is or has been declared by the appointing authority to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means;

(ii) impersonation;

(iii) procuring impersonation by any person;

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with;

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information;

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination;

(vii) using unfair means in the examination hall;

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in clauses (i) to (ix);

may in addition to the criminal proceedings, liable—

(a) to be disqualified by the appointing authority from the examination; or

(b) to disciplinary action.

10. Power to relax.—Where the appointing authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

(See rule 4)

The examination shall be conducted in the following three parts, namely :—

PART I

Written examination shall carry a maximum of 200 marks. The subject of the written examination, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed shall be as follows, namely :—

Paper	Subject	Maximum	Time
1.	Essay and Precis Writing		1/2 hours
	(a) Essay	25	
	(b) Precis Writing	25	
2.	Part A : Noting and Drafting	50	
	Part B : Office Procedure	50	2 hours
3.	General Awareness	50	1 hour

3. Subjectwise syllabus for the examination shall be as follows, namely :—

(1) Essay and Precis Writing :

(a) Essay : An essay to be written either in Hindi (Devnagri Script) or in English languae on one of the specified topics.

(b) Precis Writing . A passage will be set for preparing summary or precis in English language.

(2) Noting and Drafting and Office Procedure : The paper on noting drafting and office procedure to be answered in Englist or Hindi (in Devnagri Script) shall be designed to test the candidate's knowledge of office procedure in the Secretariat and attached offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to be generally familiar with the broad features of the Manual of Office Procedure issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management, the Rules of Procedure and Conduct or Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the handbook of Orders issued by the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions regarding use of Hindi for official purposes of the Union.

(3) General Awareness.—Questions will be aimed at testing the candidate's knowledge of general awareness about the Indian Constitution, Indian Geography, Culture, Economic Scene, General Polity, Scientific Research and National and International Current Affairs.

PART II

Evaluation of the records of service of the candidate by a departmental promotion committee consisting of :

(1) Joint Secretry (Personnel) to the Government of India, Department of Electronics. —Chairman

(2) Deputy Director (Administration) —Memoer

(3) Deputy Director (other than Administration) —Member

(4) One Officer of the Central Government from other Ministry or department not below the rank of the Under Secretry to the Government of India. —Member

This post shall carry a maximum of 50 marks. The character Roll Dossiers of the candidates shall be scrutinised for the previous five years. For each year 10 marks for an "Outstanding" entry, 8 marks for "very good" entry and 5 marks for "good" entry shall be awarded. The "outstanding" entry should have been supported by sufficient remarks and adequate material facts, otherwise the same shall be treated as *"Very good"*.

PART III

Interview or personal talk with the candidate by the departmental promotion committee as specified in Part II, carrying a maximum of 50 marks.

[No. 1(2)/96-P.III]

P. K. DATTA, Dy. Director

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1999